शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी)

Hindi / हिंदी

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानों पर मार्गदर्शक निर्देशिका, 2023

अनुच्छेद ५.२०, एन.ई.पी २०२०

"सामान्य शिक्षा परिषद् (जी.ई.सी General Education Council (GEC) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंगबॉडी(पी.एस.एस.बी Professional Standard Setting Body (PSSB)के रूप में अपने पुनर्गठित नवीन रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.पी.एस.टी) की एक सामान्य निर्देशिका वर्ष २०२० तक विकसित की जाएगी। इस निर्देशिका का निर्माण एन.सी.ई.आर.टी, एस.सी.ई.आर.टी, विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के शिक्षक समुदाय, शिक्षकों की तैयारी एवं उनके विकास में संलग्न विशेषज्ञ संगठन, व्यावसायिक शिक्षा में संलग्न विशेषज्ञ निकाय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के परामर्श से किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञता/पद के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिकाओं के प्रति अपेक्षाओं तथा आवश्यक दक्षताओं को सम्मिलित किया जाएगा, साथ ही, समय-समय पर होने वाले निष्पादन मूल्याङ्कन मानकों का भी संचय प्रत्येक चरण के लिए किया जाएगा। एन.पी.एस.टी पूर्व-सेवा शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी सूचित करेगा। इसके पश्चात् राज्यों द्वारा यह ग्रहण किया जाएगा तथा शिक्षक व्यवसाय प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित किया जाएगा, जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य अभिज्ञान सम्मिलित हैं। पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि के आधार कार्यकाल की अवधि अथवा वरिष्ठता नहीं रहेंगे अपितु मात्र ऐसे आंकलनों के आधार पर होंगे। प्रणाली की प्रभावकारिता के गहन अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन वर्ष २०३० में किया जाएगा। इसके पश्चात् यह प्रक्रिया प्रत्येक दस वर्ष में पुनरावृत्त की जाएगी"।

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये सब प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज 'जुड़ाव और समन्वय' आवश्यक है।

"A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education".

Dharmendra Pradhan
Hon'ble Minister for
Education; Skill Development
and Entrepreneurship
Government of India
Shastri Bhawan
New Delhi-110001

सत्यमेव जयते

धर्मेन्द्र प्रधान
माननीय शिक्षा;
कौशल विकास एवं
उद्यमशीलता मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी) २०२० राष्ट्र के शैक्षिक मार्गक्रमण की उत्कृष्टता की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्यबद्ध है। अपने दूरगामी दृष्टिकोण के माध्यम से, यह शिक्षक- शिक्षा प्रणाली के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है अपितु सीखने, आलोचनात्मक चिन्तन करने तथा रचनात्मकता के प्रति प्रेरित करती है - ऐसे गुण २१ वीं सदी की चुनौतियों तथा अवसरों के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए अपरिहार्य हैं।

भावी पीढ़ी के मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, नीति मानती है कि शिक्षकों को आवश्यक उपकरणों एवं ज्ञान से सन्नद्ध करना सर्वोपरि है। प्रभावी शिक्षण अभ्यासों के लिए अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों को रेखांकित करके शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक आवश्यक हैं। ये मानक शिक्षकों के कौशल, ज्ञान और दक्षताओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी) मार्गदर्शक निर्देशिका तैयार किया है, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का संग्रहण, विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों और व्यावसायिकता के विभिन्न सोपानों पर एक शिक्षक की भूमिका में अंतर्निहित प्रत्याशित उत्तरदायित्वों एवं दक्षताओं को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार कुशल एवं व्यावसायिक रूप से निपुण शिक्षको को तैयार करने के लिए मानक की तरह कार्य कर रही है।.

मुझे विश्वास है कि निरंतर प्रयासों से, हमारे देश का शैक्षिक परिदृश्य सकारात्मक परिवर्तनों का साक्षी होगा, जिससे आगामी पीढ़ियाँ लाभान्वित हो सकेंगी। .

धर्मेन्द्र प्रधान

अन्नपूर्णा देवी

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री,

शिक्षा मंत्रालय,

भारत सरकार

संदेश

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी) शिक्षण व्यवसाय के स्तर को बढाने तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करता है। एन.पी.एस.टी निर्देशिका का निर्धारण शिक्षकों, विशेषज्ञों, विशेषज्ञ निकायों और क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श, अनुसंधान एवं सहयोग से किया गया है। ये मानक आवश्यक ज्ञान, कौशल और स्वभाव को समाहित करते हैं जो 21वीं सदी में प्रभावी शिक्षण को परिभाषित करते हैं। एन.पी.एस.टी मार्गदर्शक निर्देशिका एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जो न केवल शिक्षकों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करता है वरन व्यवसाय प्रबंधन के लिए नैतिकता और आचार-नीति, विषय ज्ञान तथा साक्ष्य निर्माण में निरंतर सुधार की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है।

मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) और उन सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई देती हूँ जिन्होंने इन मानकों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संजय कुमार

भारतीय प्रशासनिक सेवा

सचिव,

विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभाग,

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी) २०२० भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लेकर आई है। सभी के लिए समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नीति ने शिक्षण व्यवसाय के विकास पर विशेष बल दिया है और शिक्षकों को सभी सुधारों के केंद्र में रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) ने एन.ई.पी २०२० के सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.पी.एस.टी) में निर्धारित मानदंड को प्राप्य बनाने के लिए एक समग्र मार्गदर्शक निर्देशिका विकसित की है। चर्चाओं/परामर्शों की एक शृंखला के आधार पर और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से, ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण और अनुसंधान के विभिन्न स्तरों के पश्चात यह निर्देशिका तैयार गई है। मुझे आशा है कि मार्गदर्शक निर्देशिका शिक्षकों की योग्यता विकसित करने में उत्प्रेरक बनेगा और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षक बनने में सक्षम बनाएगा।

मैं एन.सी.टी.ई और इस कार्य में संलग्न सभी हितधारकों को बधाई देता हूँ।

प्रो० योगेश सिंह
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
नई दिल्ली

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर बल देता है जो शिक्षकों के कार्यक्षेत्र और २१वीं सदी के कौशल समुच्चय के विकास को इंगित करता है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर मार्गदर्शक निर्देशिका (एन.पी.एस.टी) का प्रयोजन हमारे विद्यार्थियों के शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुशल शिक्षकों का निर्माण करना है। एन.पी.एस.टी कार्य और आचरण में उच्चतम संभव मानकों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी शिक्षकों के लिए एक मंच प्रदान करता है। एन.पी.एस.टी में परिभाषित सामान्य मानकों का ध्यान शिक्षक के नैतिक मूल्यों और आचार, गहन विषय ज्ञान, व्यावसायिक संबंधों और व्यावसायिक प्रगति और विकास की योजना पर केंद्रित है।

मैं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में दक्षता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ समग्र समन्वय की आशा करता हूँ।

केसांग यांगजोम शेरपा
भारतीय राजस्व सेवा
सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

संदेश

एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) ने भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कई पहल की हैं। एन.ई.पी २०२० उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में मान्यता देता है। इसी के अनुरूप, एन.सी.टी.ई ने एन.ई.पी २०२० के पैरा ५.२० में परिकल्पित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.पी.एस.टी) पर निर्देशिका जारी किया है। निर्देशिका में तैयार किए गए मानकों में शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानकों की एक तालिका है, जो वर्णन करती है कि शिक्षकों को क्या पता होना चाहिए, उन्हें कैसा निष्पादन करना चाहिए और २१ वीं सदी में प्रभावी शिक्षण की दिशा में उनकी व्यावसायिक प्रगति कैसी होनी चाहिए। एन.पी.एस.टी व्यवसाय के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता और/या अनुभव के विभिन्न स्तरों पर एक शिक्षकों से की जाने वाली अपेक्षाओं एवं योग्यताओं को सम्मिलित करेगा।

मैं अपने सभी वरिष्ठजनों तथा प्रारूप समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एन.पी.एस.टी पर इस निर्देशिका के विकास तथा अभिकल्पन कार्य में सहयोग किया। एन.सी.टी.ई की पूरी टीम की मैं सराहना करती हूँ।

विषयसूची

क्र. सं.	विषयसूची	पृष्ठ सं.
१.	**परिचय**	**1**
२.	**अध्यापन: एक व्यवसाय**	**3**
२.१	व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य	3
२.२	व्यावसायिक मानकों की समझ	5
२.३	शिक्षकों तथा शिक्षण के लिए व्यावसायिक मानकों का महत्त्व	5
३.	**शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.पी.एस.टी)**	**7**
३.१	एन.पी.एस.टी की प्रासंगिकता	7
३.२	शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक	8
३.३	योग्यता की वृद्धि एवं विकास	12
३.४	शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक	13
४.	**शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक की रूपरेखा**	**14**
४.१	मानक १: मुख्य मूल्य और नैतिकता	14
४.२	मानक २: ज्ञान एवं अभ्यास	14
४.३	मानक ३: व्यावसायिक प्रगति एवं विकास	15
५.	**कार्यान्वयन**	**22**
५.१	कार्य योजना	22
५.२	अनुप्रयोग	23
५.३	आवधिक समीक्षा	23
६.	**एन.पी.एस.टी रूपरेखा पर आधारित आंकलन उपकरण (सुझावात्मक)**	**24**
७.	**एन.पी.एस.टी पर राष्ट्रीय शिक्षक गुणवत्ता केन्द्र (एन.सी.टी.क्यू) के लिए डिजिटल अवसंरचना योजना**	**35**

८.	आरेखों की सूची	37
९.	लघुरूप	38
१०.	ग्रन्थसूची	39
११.	एन.पी.एस.टी विशेषज्ञ समिति	40

१. परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (एन.ई.पी २०२०) भारतमें शिक्षा प्रणाली में आधारभूत सुधारों के लिए शिक्षक को केन्द्र में रखती है। शिक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करती है और शिक्षक इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी) एन.ई.पी २०२० के उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की पहुँच सर्वोत्तम शिक्षा तक सामान रूप से हो। एन.पी.एस.टी आश्वासन देता है कि सभी शिक्षकों को विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उत्साही, प्रेरित, उच्च शिक्षा प्राप्त, हमेशा तत्पर और संसाधनों से परिपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार, शिक्षण व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना ही समय की माँग है।

एन.पी.एस.टी विभिन्न रोजगार चरणों में शिक्षकों के गुणों की पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी शिक्षकों की तैयारी, शिक्षण-अभ्यास एवं निष्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। मानक एवं सम्बन्धित नीतियाँ एन.ई.पी २०२० के आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जो शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेंगी और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एन.ई.पी २०२० की नीति की पुरोगामी दृष्टि का समर्थन करेंगी। एन.पी.एस.टी सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार करने और शिक्षक व्यवसाय प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित करने में भी मदद करेगा।

विद्यार्थियों को शिक्षकों के कौशल विकास में किए गए प्रयासों का फल मिलता है। शिक्षकों के लिए व्यवसाय के मानक यह रेखांकित करेंगे कि व्यवसाय के विभिन्न चरणों और विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों से क्या अपेक्षा की जाती है, साथ ही साथ प्रत्येक के लिए आवश्यक दक्षताएँ क्या हैं। व्यवसायिक मानकों का वर्ष २०३० में तथा उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाएगा। यह प्रणाली की प्रभावकारिता के गहन अनुभवजन्य विश्लेषण पर आधारित होगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम (एन.सी.टी.ई अधिनियम), १९९३ द्वारा बनाई गई एक सांविधिक निकाय है। इसे देशभर में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन दोनों शिक्षकों के नियोजित और समन्वित विकास का दायित्व सौंपा गया है। एन.पी.एस.टी की घोषणा २०२१ के बजट में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के आदेश के रूप में की गई थी तथा एन.सी.टी.ई को इस कार्य को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया था। एन.पी.एस.टी के विभिन्न पक्षों पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सामग्री एवं सुझावों के आधार पर एन.पी.एस.टी निर्देशिका तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समग्र रूप से ऊर्ध्वमुखी उपागम (बॉटम-अप दृष्टिकोण) के आधार पर सुझाव/सामग्री आमंत्रित करने के लिए अप्रैल, २०२१ में MYNEP२०२० पोर्टल के द्वारा डिजिटल परामर्श के माध्यम से प्राथमिक अनुसंधान किया गया था। इसके अतिरिक्त ,अनुसन्धान के दूसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न सम्बंधित क्षेत्रों के चयनित सुविज्ञों के

प्रश्नावली के माध्यम से विशिष्ट टिप्पणी /सुझाव आमंत्रित किये गए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रयोगों के मानकीकरण के लिए चार देशों के एन.पी.एस.टी निर्देशिकों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार की गई। विशेषज्ञ समिति के द्वारा की गई अनेक चर्चाओं तथा संशोधनों के माध्यम से, एन.पी.एस.टी पर एक प्रारंभिक प्रारूप विकसित किया गया और १७ नवंबर २०२१ को एन.सी.टी.ई वेबसाइट और मेरी सरकार (MYGOV) पोर्टल पर सार्वजनिक समीक्षा के लिए जारी किया गया। इसके साथ ही, शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, विभागाध्यक्षों, एससीआरटी, डाइट, प्रधानाचार्यो ,शिक्षकों (सरकारी / निजी) ,गैरसरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ १५ चर्चाएं की गयी जिसके द्वारा एन.पी.एस.टी पर आधार स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों से विचार / सुझाव लिए जा सके।

साथ ही, एन.पी.एस.टी निर्देशिका के प्रारभिंक प्रारूप में उल्लेखित वर्णनकर्ताओं एवं दक्षताओं के आंकलन एवं मूल्यांकन के लिए उपकरण / विधियों पर सुझाव लेने के लिए देश भर के शिक्षकों, प्राचार्यों, डी.आई.ई.टी, एस.सी.ई.आर.टी के साथ ५ आन्तरिक परामर्श बैठक आयोजित की गई। अनुसंधान का तीसरा स्तर होने के नाते, हितधारकों से प्राप्तसामग्री/सुझावों का उपयोग एन.पी.एस.टी पर अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया और २९ मार्च २०२२ को एन.पी.एस.टी के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया, जिसका अनुमोदन फील्ड परीक्षण संस्करण के रूप में किया गया। एन.पी.एस.टी निर्देशिका के कार्यान्वयन और प्रभावी मूल्यांकन को देशभर के ७५ केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों (२५ केंद्रीय विद्यालय + २५ नवोदय विद्यालय + २५ सीबीएसइ द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय) के ११७५ शिक्षकों पर किया गया।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी), जैसा कि एन.ई.पी २०२० के अनुच्छेद ५.२० में परिकल्पित है, का लक्ष्य सभी विद्यार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा की समान पहुँच बनाना है। एन.पी.एस.टी की निर्देशिका का निर्धारण एन.ई.पी २०२० विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित उस अध्यादेश का पूरा करने के लिए किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को उत्साही, प्रेरित, उच्च शिक्षा प्राप्त, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित तथा संसाधनों से परिपूर्ण शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया जायेगा। इसका उद्देश्य शिक्षक व्यवसाय प्रबंधन तथा अन्य अभिज्ञानों के सभी पक्षों को निर्धारित करना है। यह गुणवत्ता का एक विवरण है जो विभिन्न चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की दक्षताओं को परिभाषित करता है।

एन.सी.टी.ई में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय शिक्षक गुणवत्ता केन्द्र (एन.सी.टी.क्यू National Centre for Teacher Quality (NCTQ) स्थापित किया गया है, जिसमें एन.पी.एस.टी के संचालन के लिए राष्ट्रीय कोष होगा। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों / स्रोत अभिकरणों के निर्धारण हेतु हितधारकों / कार्यान्वयन सस्थाओं के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी चलाये जाएंगे।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें नए शैक्षणिक विद्यालयी संरचना (5+3+3+4) के अनुसार शिक्षकों के अपेक्षित कौशल संग्रह को पूर्ण करने के लिए मानकों को अपना सकती हैं तथा संस्थाएँ तदनुसार उन्हें कार्यान्वित कर सकती हैं।

२. अध्यापन: एक व्यवसाय

२.१ व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य

शिक्षण को वैश्विक स्तर पर सबसे महान व्यवसायों में से एक माना जाता है और इसको सामाजिक प्रगति से सम्बंधित किया जाता है। प्राचीन समय में, एक शिक्षक समाज का सबसे सम्मानित सदस्य था, और सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों को ही इसमें प्रवेश की अनुमति थी। शिक्षक,शिक्षा प्रणाली के केंद्र थे और उनसे अपने ज्ञान, कौशल और नैतिकता को विद्यार्थियों तक सर्वोत्तम विधि से हस्तान्तरित करने की अपेक्षा की जाती थी।। शिक्षा प्रणाली में विकास और शिक्षकों की बदलती भूमिका के साथ, दीर्घकालिक और स्थिर राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक जांच के रूप में, शिक्षण एक गहन नैतिक एवं आदर्श व्यवसाय है जिसमें व्यवसायिकों से निम्नलिखित अपेक्षाएं होती है :

- वे बच्चों की देखभाल करें और उनके साथ रहना पसंद करें, विद्यार्थियों की विविधता का सम्मान करें, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझे, उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करें तथ सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करें।
- बच्चों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में न समझें, अर्थ निर्माण की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, रटने की प्रवृति को हतोत्साहित करें तथा अधिगम को आनन्दमय, सहभागी और सार्थक बनाए।
- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की आलोचनात्मक जांच करें तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनायें।
- पाठ्यक्रम में अंतर्निहित ज्ञान को 'प्रवृत' न मानें।
- विद्यार्थी-केंद्रित, गतिविधि-आधारित, सहभागितापूर्ण अधिगम अनुभवों का आयोजन करें,जिसमें खेल, परियोजनाएं, वाद-विवाद, सम्भाषण, पर्यवेक्षण, यात्राएँ सम्मिलित करें तथा अपनी शिक्षण विधियों पर चिन्तन करना सीखें।
- कक्षा में विविधताओं पर कार्य करते हुए विद्यार्थियों की सामाजिक एवं व्यक्तिगत वास्तविकताओं के साथ सीखने का प्रक्रिया कासमन्वय करें।
- शांति, लोकतांत्रिक जीवन शैली, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रति उत्साहित होने के मूल्यों को बढ़ावा दें।

हितधारकों के मध्य विचार-विमर्श द्वारा मानकों के लिए सहज सहमति तथा स्पष्टता प्राप्त होने से

- :अच्छे शिक्षण के विभिन्न पहलुओं के प्रति अधिक स्पष्टता एवं प्रतिबद्धता बढ़ेगी।
- प्रासंगिक विचारों की समझ बढ़ेगी जो की अच्छे शिक्षण को नियंत्रित एवं उसका समर्थन करती है।
- शिक्षकों के लिए उनके व्यावसायिक कार्यों के आवश्यक आयामों को स्पष्ट करेगी , कक्षाओं को विद्यार्थी-केंद्रित बनाएगी तथा शिक्षकों को आत्म-चिन्तन के लिए प्रेरित करेगी।
- शिक्षकों की सहायता, अच्छे शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रगति की तैयारी के लिए उचित पारिस्थितिकी और परिसंघ प्रणाली की रुपरेखा बनाने और प्रबंधन के लिए समझ बढ़ेगी।

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई) अधिनियम, २००९ शिक्षकों से अपेक्षाएँ निर्धारित करता है तथा ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को सकारात्मक अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे और शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसा कि आरटीई अधिनियम, २००९ में कल्पना की गई है, शिक्षण निम्न प्रकार का होना चाहिए :

[धारा २९/२, आरटीई अधिनियम' २००९]

- एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप।
- विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसित।
- विद्यार्थी के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को विकसित करें।
- विद्यार्थी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास करें।
- विद्यार्थी के अनुकूल,बाल- केंद्रित उपागमों का प्रयोग करके क्रियाओं ,खोज एवं अन्वेषण के माध्यम से अधिगम कराएं ।
- जहाँ तक संभव हो और व्यवहार्य हो, शिक्षण छात्र की मातृभाषा में ही हो।
- सुनिश्चित करें कि अधिगम भय, विक्षोभ और चिंता से मुक्त हो, और विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से संवाद करने में सहायता दें।
- सतत समग्र मूल्यांकन का प्रयोग हो जिसमे विद्यार्थी के बोध एवं क्षमताओं दोनों को ही स्थान मिले।

इस प्रकार, प्रत्येक विद्यार्थी गौरवान्वित जीवन जीने में सक्षम बने।

भारत का संविधान यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है कि शिक्षा समावेशी हो और उपेक्षित समुदाय के विद्यार्थी, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े

समुदायों तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सहायता दे । शिक्षा का अधिकार और निश्चित रूप से एन.ई.पी २०२० में शिक्षा का जो लक्ष्य है वह सभी स्तर के विद्यालयों की सभी कक्षाओं में समावेशी शिक्षा तथा विविधता पर बल देता है।

एन.ई.पी २०२० उन विशिष्ट चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिनके प्रति शिक्षकों की अध्यापन पद्धितियों को उत्तरदायी होना चाहिए: ***(नीति के सिद्धांत)***

- रटने की प्रवृत्ति से उच्च कोटि चिन्तन की ओर, आलोचनात्मक क्षमता, पूछताछ और 21वीं सदी के कौशलों के विकास के लिए।
- सीखने को बहु-विषयक, अनुभवजन्य तथा व्यावहारिक बनाने के लिए।
- बहुभाषावाद अपनाने के लिए।
- विद्यार्थियों को देश की ज्ञान विरासत के महत्त्व तथा उसके समन्वित रूप को समझाने और उसे आत्मसात कराने के लिए।

२.२ व्यावसायिक मानकों का बोध

'मानक' शब्द को अलग अलग देशों में अलग-अलग अर्थो के साथ परिभाषित किया गया है। मानक व्यवसाय में क्या महत्वपूर्ण है और सामान्य तौर पर इसका प्रयोग अधिगम व शिक्षण के अति वांछनीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसको वर्णित और सम्प्रेषित करने के लिए कथन करते हैं। अधिगम के संदर्भ में, मानकों को अधिगम परिणामों के रूप में परिभाषित किया जाता है, परन्तु व्यावसायिक संदर्भ में, मानकों को योग्यता के आयाम के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात किसी विशेष व्यवसाय में निपुण माने जाने के लिए व्यक्ति विशेष को क्या जानना चाहिए तथा किन कार्यों में दक्ष होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी व्यवसाय में दक्ष निष्पादन के मानदंड के रूप में तथा व्यावसायिक निष्पादन के मूल्याङ्कन उपकरण के रूप में किया जाता है। मानक वे कथन हैं जो दर्शाते हैं कि व्यवसाय में क्या मूल्यवान है, तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम की अवधारणा के साथ किया जाने वाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण क्या है। ये वक्तव्य स्वयं यह निर्धारित करते हैं कि शिक्षक को क्या जानना चाहिए, क्या मानना चाहिए और क्या करने में सक्षम होना चाहिए।

२.३ शिक्षकों और शिक्षण के लिए व्यावसायिक मानकों का महत्त्व

उत्तम तथा वांछनीय शिक्षण एवं शिक्षकों के गुणों और विशेषताओं का विवरण अनेक नीतिगत निर्देशिका में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाया जाता है। इन विचारों ने शिक्षा सुधार के केंद्र प्रायोजित मिशन अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) के शुभारंभ के साथ-साथ सेवाकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित किया है। ये विचार शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ.टी.ई, 2009 National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE, 2009) में निर्धारित दिशानिर्देशों में निहित हैं तथा एन.ई.पी २०२० की संतुति के अनुसार नव विकसित किये जा रहे पूर्व-सेवा शिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रुपरेखा के अभिकल्प में ग्रन्थित किये जा रहे है।

एन.ई.पी २०२० का प्रस्ताव है कि व्यावसायिक मानकों के आधार पर व्यवसाय को संचालित किया जाएगा जो उत्तरदायित्व निर्वहन, निगरानी, व्यावसायिक प्रगति, व्यवसाय के प्रत्येक चरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने तथा इनकी रचना व संस्थागन और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता से सम्बंधित होंगे। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानकों का एक संग्रह सक्षम हो सकता है:

- एक शिक्षक के कार्य की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए।
- कार्य और सेवा की स्थितियाँ बनाने के लिए।
- शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की पुनर्रचना के लिए।
- शिक्षकों के पंजीकरण के लिए।
- जीवन पर्यन्त अधिगम तथा व्यावसायिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए।
- शिक्षक योग्यता में एकरूपता स्थापित करने और गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए।
- शिक्षक गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए।
- शिक्षकों को अभिप्रेरित करने के लिए।
- शिक्षकों के उत्तरदायित्वों / कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए।

यद्यपि मानकों के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया जाना उनके विशिष्ट उपयोग के आधार पर भिन्न हो सकता है; तथापि मानकों का एक सामान्य संग्रह यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षकों और एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण से संबंधित विभिन्न मामलों में नीतिगत समानता हो।

३. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.पी.एस.टी)

वर्तमान समय में भारत में ज्ञान के सन्दर्भ में व्यापक परिवर्तन हो रहे है। इसलिए, 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय एन.ई.पी २०२० २१वीं सदी की देश की पहली शिक्षा नीति है, और इसका उद्देश्य हमारे देश की अनेक विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। शिक्षक वास्तव में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ते है और इसलिए, हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माणकर्ता हैं। सभी के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एन.ई.पी २०२० ने शिक्षण व्यवसाय के विकास पर विशेष बल दिया है और शिक्षकों को सभी सुधारों के केंद्र में रखा है। एन.पी.एस.टी का उद्देश्य शिक्षण व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को प्रेरित करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना एवं उन्हें अपना कार्य यथासंभव प्रभावी ढंग से करने में सहायता देना है ।

३.१ एन.पी.एस.टी की प्रासंगिकता

"सामान्य शिक्षा परिषद् (जीईसी General Education Council (GEC)) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंगबॉडी(पीएसएसबी) के रूप में अपने पुनर्गठित नवीन रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.पी.एस.टी) की एक सामान्य निर्देशिका वर्ष २०२२ तक विकसित की जाएगी। इस निर्देशिका का निर्माण एनसीईआरटी, एससीईआरटी, विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के शिक्षक समुदाय, शिक्षकों की तैयारी एवं उनके विकास में संलग्न विशेषज्ञ संगठन, व्यावसायिक शिक्षा में संलग्न विशेषज्ञ निकाय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के परामर्श से किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञता/पद के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिकाओं के प्रति अपेक्षाओं तथा आवश्यक दक्षताओं को सम्मिलित किया जाएगा, साथ ही, समय-समय पर होने वाले निष्पादन मूल्याङ्कन मानकों का भी संचय प्रत्येक चरण के लिए किया जाएगा। एन.पी.एस.टी पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी सूचित करेगा। इसके पश्चात् राज्यों द्वारा यह ग्रहण किया जाएगा तथा शिक्षक व्यवसाय प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित किया जाएगा, जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य अभिज्ञान सम्मिलित हैं। पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि के आधार कार्यकाल की अवधि अथवा वरिष्ठता नहीं रहेंगे अपितु मात्र ऐसे आंकलनों के आधार पर होंगे। प्रणाली की प्रभावकारिता के गहन अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन वर्ष २०३० में किया जाएगा। इसके पश्चात् यह प्रक्रिया प्रत्येक दस वर्ष में पुनरावृत्त की जाएगी"।[अनुच्छेद ५.२०, एन.ई.पी २०२०]

आरेख १ शिक्षकों की तत्परता पर चित्रण

३.१.१ शिक्षक शिक्षा: एन.पी.एस.टी एन.ई.पी २०२० में परिकल्पित ४-वर्षीय, २-वर्षीय और १-वर्षीय बी.एड. पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी देगा।

३.१.२ शिक्षक भूमिका प्रबंधन: यह मानदण्ड विशेषज्ञता / चरणों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों से अपेक्षाओं, उनकी भूमिका तथा आवश्यक दक्षताओं को समाहित करेंगे। प्रत्येक चरण के लिए, एन.पी.एस.टी निष्पादन आंकलन के लिए मानदण्ड को सम्मिलित करेगा।

३.१.३ शिक्षक व्यवसाय प्रबंधन: शिक्षक व्यवसाय प्रबंधन के सभी पक्ष, जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा अन्य अभिज्ञानों आदि को सम्मिलित करेगा।

३.१.४ शिक्षक व्यावसायिक विकास: शिक्षकों को आत्म-सुधार के अवसर तथा अपने व्यवसायों में नवीनतम नवाचारों और प्रगतिशील परिवर्तनों को सीखने के लिए निरन्तर अवसर दिए जाएँगे।

एन.ई.पी २०२० के अनुसार, शिक्षक को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान, उचित व्यवहार, मूल्यों के विकास और सर्वोत्तम मार्गदर्शकों के निर्देशन में शिक्षण कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षकों को शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों में दक्ष होने के साथ-साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं का ज्ञान होना आवश्यक है। एन.पी.एस.टी एक सार्वजनिक वक्तव्य है कि शिक्षण गुणवत्ता क्या है और भारत में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। ये मानक मार्गदर्शक वक्तव्यों का एक समूह होंगे जो व्यवसाय के विभिन्न चरणों में, विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर एक शिक्षक की भूमिका की अपेक्षाओं को परिभाषित करते हैं। मानक यह भी परिभाषित करते हैं कि प्रभावी शिक्षण का स्वरुप कैसा होता है और शिक्षण व्यवसाय के प्रत्येक चरण में 21वीं सदी के शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किन दक्षताओं की आवश्यकता होती है।

३.२ शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानकों की रूपरेखा अच्छे शिक्षकों और अच्छे शिक्षण के गुणों के संबंध में स्पष्ट और अंतर्निहित अभिव्यक्ति पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, यह भारत में शिक्षण और अध्यापक प्रशिक्षण में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है, और इसी संदर्भ में, यह शिक्षकों तथा शिक्षण गुणवत्ता को परिभाषित करने एवं मूल्यांकन करने की पहल की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

क. योग्यता

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक तैयार करते समय, शिक्षण व्यावसाय के लिए पहचान की गयी आवश्यक दक्षताओं के लिए मानकों के एक सामान्य मूल समूह पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। योग्यता से हमारा तात्पर्य ज्ञान, कौशल, बोध, मूल्य, अभिवृति और इच्छाओं के संयोजन से है, जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रभावी, सन्निहित मानवीय प्रयासों की ओर ले जाती है।

ख. क्षेत्र

शिक्षक ज्ञान और शिक्षण अभ्यास (शिक्षण-पूर्व, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद) परस्पर सम्बन्धित क्षेत्र हैं, और दोनों विश्वास, कौशल, सम्प्रेषण क्षमताओं, व्यावसायिक पहचान, नैतिकता, मूल्यों और स्वभाव से सम्बन्धित हैं। निम्नलिखित तीन आयामों को मानकों के रूप में पहचाना गया है:

१. मुख्य मूल्य एवं नैतिकता

२. ज्ञान और शिक्षण-अभ्यास

३. व्यावसायिक वृद्धि एवं विकास

ग. शिक्षक प्रोफाइल

जितना संभव हो सके, शिक्षण विशेषज्ञता के सुधार तथा विकास का विचार उत्तम शिक्षण में वृद्धि एवं प्रगति की प्रकृति को इंगित करने के लिए तैयार किया गया है, जो संशोधन और विकास के लिए आकांक्षा एवं पथ दोनों के साथ ही व्यावसायिकों द्वारा उच्च मानकों को मान्यता देने के लिए एक आधार है। एन.पी.एस.टी के लिए, निम्नलिखित तीन स्तर प्रस्तावित हैं जो विद्यालयी शिक्षा और विषय शिक्षण के विभिन्न चरणों में शिक्षण के सभी आयामों और दक्षताओं पर लागू होते हैं। इन स्तरों तथा उनके विवरणों का उपयोग यह दृष्टिकोण बनाने में किया जा सकता है कि शिक्षक क्या करने में समर्थ हैं, और वे किन क्षेत्रों में आगे विकास कर सकते हैं। इससे निम्नलिखित स्तरों पर शिक्षकों द्वारा अर्जित दक्षताओं के साक्ष्य के आधार पर उनकी नियुक्ति में भी मदद मिलेगी:

१. प्रवीण

२. उन्नत

३. विशेषज्ञ

एन.पी.एस.टी एक मार्गदर्शक निर्देशिका है और ये उन सभी हितधारकों की सहायता करती है जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। यह शिक्षकों को उनके शिक्षक बनने के निर्णय से लेकर उनकी शिक्षण यात्रा पूरी करने तक कौशल विकास का एक स्पष्ट पथ प्रदान करती है। यह निर्देशिका शिक्षक शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

मानकों को शिक्षण व्यवसाय के एक विशेष चरण तक पहुँचने के लिए पूर्व-आवश्यक दक्षताओं के रूप में परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है। शिक्षक, कौशलों का विकास करके पूर्व आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा तथा व्यवसाय के लक्षित स्तर तक पहुँचने के लिए प्राप्त दक्षताओं के साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा। किसी चरण के मानकों को प्राप्त करने के बाद शिक्षक प्रमाणित हो जायेगा और वह औपचारिक रूप से उस चरण के लिए प्रोन्नत होगा, इसके पश्चात वह अधिग्रहित दक्षताओं का प्रयोग शिक्षण अभ्यास में करने लगेगा तथा अग्रिम चरण के लिए अपनी योग्यताओं पर कार्य प्रारम्भ कर देगा ।

एक सफल शिक्षण कार्य-जीवन की तैयारी की यात्रा किसी व्यक्ति के शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम (टी.ई.पी Teacher Education Programme (TEP)) में प्रवेश के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। एन.पी.एस.टी उन दक्षताओं का एक रेखा-चित्र तैयार करता है जो एक शिक्षक प्रशिक्षु को शिक्षण व्यवसाय की तैयारी के प्रारंभिक चरणों में अधिगम करनी चाहिए। अतः जब कोई भावी शिक्षक शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश लेने का निर्णय लेता है, तो उसे एन.सी.टी.ई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टी.इ.आई) में नामांकित किया जाएगा। संस्थान शिक्षक प्रशिक्षु की शिक्षा व प्रशिक्षण उस पाठ्यक्रम पर आधारित करेगे जो शिक्षण व्यवसाय के पहले चरण तक पहुंचने के लिए आवश्यक दक्षताओं को अधिग्रहण करने में सहायक होगा। ये मानक सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम योजना बनाने तथा कार्यान्वयन के लिए पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मानदण्ड होंगे। शिक्षक प्रशिक्षु अपने प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण में निरंतर अभ्यास एवं मेंटर/परामर्शदाता (mentor) के सहयोग शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित एवं संबलित करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल, मूल्य तथा अभिवृति का विकास करेंगे।

एन.ई.पी २०२० में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालयीय चरण के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी Teacher Eligibility Test (TET) एक शिक्षक प्रशिक्षु के लिए शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पात्रता रहेगी। इस प्रकार, टीईटी प्रमाणित और सुनिश्चित करेगा कि दक्ष अभ्यर्थियों की पहचान की जाए और उनकी टीईटी प्रोफ़ाइल उनकी दक्षताओं की सीमा को प्रदर्शित करेगी। एक बार जब नया शिक्षक शिक्षण व्यवसाय में स्थापित हो जाएगा, तो उसे एन.पी.एस.टी आधारित व्यावसायिक चरण की तैयारी के लिए निर्देशित किया जाएगा। शिक्षक की दक्षताओं का मूल्यांकन निष्पादन संकेतक (पी.आई) द्वारा किया जाएगा जो व्यवसाय के लिए स्वीकृत मानदण्डों में उपलब्धि के स्तर को दर्शाता है। चरणवार दक्षता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय अवधि पाँच वर्ष की है। शिक्षक की गुणवत्ता और निष्पादन संकेतक को नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एन.एम.एम National Mission for Mentoring (NMM) कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और उत्कृष्ट शिक्षकों को परामर्शदाताओं के समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। यह शिक्षको को एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान करेगा जिससे उनकी व्यावसायिक प्रगति होगी।

अर्जित दक्षताओं के आधार पर शिक्षकों के तीन अलग-अलग स्तर इस प्रकार हैं:

१. प्रवीण शिक्षक :

व्यवसाय के इस चरण में, एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण और अधिगम के लिए महत्त्वपूर्ण कौशल का प्रदर्शन करने के लिए व्यावसायिक रूप से स्वतंत्र हो। कुशल शिक्षक को व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों और उनके अभ्यास में अर्जित ज्ञान को समृद्ध करने में विद्यालय के परामर्शकर्ताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। विद्यालय आधारित परामर्शकर्ता शिक्षण अभ्यास को श्रेष्ठतर बनाने में प्रवीण शिक्षकों की सहायता करेंगे। एक बार जब प्रवीण शिक्षक अर्जित कौशलों के अनुप्रयोग में सर्वोत्तम स्तर तक पहुँच जाएगा, तो उसे अग्रिम चरण, अर्थात् उन्नत शिक्षक चरण की

तैयारी के लिए निर्देशित किया जाएगा। शिक्षक को अगले चरण के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर दिए जाएँगे और उस स्तर के लिए कौशल प्राप्त करने तथा अग्रिम चरण से संबंधित साक्ष्य विकसित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एक बार जब शिक्षक अगले करियर चरण के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे अपने कौशलो का मूल्यांकन करने और उन्नत शिक्षक का स्तर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रवीण शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री को व्यवस्थित करने, संसाधनों के चयन करने, पाठ्य-पुस्तकों के सार्थक उपयोग करने, सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने, विद्यार्थियों की देखभाल करने, उनके विकास की चिंता करने और उनके साथ प्रभावी सम्प्रेषण करने में निपुणता का प्रदर्शन करेगा। वह अधिगम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत अधिगम की आवश्यकता की पहचान करेगा; तत्काल हितधारकों, माता-पिता और विद्यालय प्रबंधन के साथ संवाद स्थापित करेगा एवं लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों तथा उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा।

२. उन्नत शिक्षक :

इस चरण में, एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से सम्बन्धित सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर शिक्षण के उच्चतम मानदण्डों को अपनाए। वह शिक्षण और अधिगम के लिए महत्त्वपूर्ण कौशल के अनुप्रयोग में व्यवसायिक रूप से सक्षम होगा। उन्नत शिक्षक प्रवीण शिक्षकों के लिए सहकर्मी नेता की भूमिका निभाएँगे। उन्नत शिक्षक के शिक्षण कार्यो का प्रधानाचार्य/प्रमुख/वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा निरिक्षण किया जाएगा एवं तदनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। एक बार जब उन्नत शिक्षक अग्रिम चरण के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे विशेषज्ञ शिक्षक का स्तर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस चरण में उन्नत शिक्षक उत्तम अभिकरणों के साथ समन्वय करने, उनके साथ समायोजन करने तथा कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक होगा; साथ ही साथ वह अपने विषय क्षेत्र के नवाचार, कौशल समावेश तथा नवीन पाठ्य - सामग्री के प्रति भी जागरूक होगा। वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत तथा विविध शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबोधित करने में सक्षम होगा; विद्यार्थी एवं शिक्षण संदर्भ को समझने के बाद चिंतन करेगा तथा समस्याओं का विश्लेषण करके नवीन समाधान ढूंढने में सक्षम होगा। वह तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालिक विद्यार्थी अधिगम/शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ती के लिए पद्धतियों से संपन्न होगा, चुनौतियों का सामना करते हुए विद्यालय और समुदाय के भीतर विविध हितधारकों के साथ काम करेगा।

३. विशेषज्ञ शिक्षक:

इस स्तर पर, शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संरक्षक या सहकर्मी नेता की भूमिका के लिए असाधारण क्षमता के साथ उच्चतम मानक को प्राप्त करें तथा अन्य शिक्षकों को उनकी दक्षताओं में सुधार करने में सहायक हो एवं विद्यालय के व्यावसायिक विकास कार्यक्रम का नेतृत्व करें। व्यवसाय के इस चरण में, विशेषज्ञ शिक्षक पद्धतियों में सतत रूप से अभ्यास करते हुए सर्वोत्तम स्तर का प्रदर्शन

करेगा,सहयोगात्मक ढंग से कार्य करेगा तथा सहकर्मियों को उनकी शिक्षा और शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त, एक विशेषज्ञ शिक्षक निरंतर अपनी और अपने सहकर्मियों तथा विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यताओं पर विचार करके अपने व्यावहारिक ज्ञान और कुशलताओं को संवर्धित करने का प्रयास करेगा। विशेषज्ञ शिक्षक सहकर्मी अवलोकन में सम्मिलित होंगे और अपने और दूसरों के सीखने के लिए उत्तरदायी होंगे। विशेषज्ञ शिक्षक अन्य शिक्षको को अगले चरण में अग्रसर करने के लिए परमर्श देंगे। उन्हें अग्रिम चरण से संबंधित कौशल प्राप्त करने और साक्ष्य विकसित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। वह विद्यालयों में शिक्षण समुदायों को विकसित करके अपने स्वयं के शिक्षण अभ्यास और दूसरों के शिक्षण अभ्यास को श्रेष्ठतर बनाने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित करेगा।

३.३ क्षमता की वृद्धि एवं विकास

सभी वर्णित व्यवसायिक क्षेत्रों में योग्यता की वृद्धि और विकास संभव भी है एवं वांछनीय भी। यह वृद्धि तथा विकास शिक्षण से संबंधित सभ प्रकार की दक्षताओं पर लागू होता है: ज्ञान, अभिवृति, अवधारणा, कौशल, व्यवहार, मूल्य, शिक्षण की सामग्री/विषय वस्तु, अधिगमकर्ताओं की समझ, समुदाय, शिक्षा के दार्शनिक उद्देश्य, इत्यादि। व्यापक रूप से ऐसे तीन मार्ग हैं जो इस प्रकार की वृद्धि करते हैं :

क. अनुभव- अनुभव तथा चिन्तन से शिक्षकों में शिक्षण पद्धितियों के प्रति अधिक समझ विकसित होती है, उनका ज्ञान संवर्धन होता है, सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का बोध, अधिगम की प्रक्रिया की समझ के साथ-साथ शैक्षिक लक्ष्यों की समझ भी बढ़ती है। प्रारंभ में, एक शिक्षक का ध्यान शिक्षण की दिनचर्या से अधिक परिचित होने तथा व्यवसाय एवं कार्यस्थल की विभिन्न चुनौतियों से अभ्यस्त होने पर केंद्रित रहता है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए सामान्य बात है। धीरे-धीरे, शिक्षण के मुख्य कार्य में संलग्न होने, अधिगम को सुगम बनाने एवं सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह अधिक तत्पर हो जाता है व अधिक समय दे पता है । सेवा-पूर्व शिक्षक-प्रक्षिक्षण में सीखे गए सैद्धांतिक पक्ष का महत्त्व और आवश्यकता भी शिक्षकों द्वारा अधिक स्पष्ट एवं सार्थक हो जाती है। शिक्षकों में व्यावसायिक पहचान एवं व्यावसाय के प्रति श्रेष्ठतर समझ भी विकसित होती है। सभी शिक्षक अनुभव के माध्यम से सीखते और विकसित होते रहते हैं।

ख. संपर्क में आना (एक्सपोजर) और अंतःक्रिया- व्यावसायिक प्रगति के सामाजिक स्वरूप को अब तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। साथियों एवं सहकर्मियों से संवाद करके सीखना तथा अन्यत्र कार्य कैसे किये जाते हैं, इत्यादि का अनुभव, शिक्षकों के लिए अधिगम एवं विकास के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेना, व्यावसायिक अधिगम समुदायों का हिस्सा बनना, तथा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यस्थलों के

कार्यक्रमों में सहभागिता, शिक्षकों को चिन्तन करने एवं सीखने के अवसर प्रदान करती है।

ग. सतत व्यावसायिक विकास - कार्यशालायें, क्षमता विकास सत्र, सतत व्यावसायिक विकास के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम- नवीन ज्ञान, पद्धितियों नए कौशलों व सम्बद्ध क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं जिससे व्यावसायिक प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। । इस प्रकार, यह नए क्षेत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और अधिक विशेषज्ञता विकसित करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है।

३.४.शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी)

सामान्य तौर पर, मानकों को प्रभावी तरीके से शिक्षण की गुणवत्ता को परिभाषित करने और रेखांकित करने के लिए देखा जाता है। वे "अच्छे शिक्षण" का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही यह भी इंगित करते हैं कि "मानदण्डों की पूर्ति" से क्या तात्पर्य है। व्यावसायिक रूप से, इन मानकों को उनके उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये मानक कार्य अभ्यास के सम्बन्धित आयामों के लिए सामान्य या विशिष्ट हो सकते हैं। इन्हें सभी शिक्षण व्यवसायिकों के लिए एक साथ आधारभूत रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है अथवा शिक्षण व्यवसाय के प्रत्येक चरण के लिए प्रगतिशील रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है जो की प्रवीण से विशेषज्ञ शिक्षक तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करता है।

आरेख २ व्यावसायिक मानकों एवं योग्यता का चित्रण

एन.ई.पी २०२० के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उल्लिखित तीन क्षेत्रों में मानकों को शिक्षण व्यावसायिकों के जीवन पर्यन्त व्यावसायिक विकास के लिए विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। एन.सी.ई.आर.टी, एस.सी.ई.आर.टी, विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक तैयारी और विकास में संलग्न विभिन्न विशेषज्ञ संगठनों, विशेषज्ञ निकायों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के परामर्श से एन.पी.एस.टी का एक सामान्य निर्देशिका विकसित की गयी है।

४. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.पी.एस.टी) की रूपरेखा

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक की रूपरेखा के व्यवसायिक आयामों को शिक्षकों के कार्यो के विशिष्ट पक्षों के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है। रूपरेखा को निम्नलिखित तीन परस्पर संबंधित क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है जिन्हें 'मानक' कहा जाता है, जिसमें कई सम्मिलित क्षेत्र वर्णित हैं।

४.१ मानक १: मुख्य मूल्य और नैतिकता - यह मानक उन मूल्यों और नैतिकता से सम्बन्धित क्षेत्रों को सम्मिलित करेगा जिन्हें विकसित करने की अपेक्षा एक शिक्षक से की जाती है। शिक्षण व्यावसाय में मूल्य एवं नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं जो कक्षा के भीतर निष्ठा, व्यावसायिकता, सत्यता, सम्मान, विश्वास और परस्पर समझ के प्रति प्रतिबद्धता जैसे शिक्षकों के मूल्यों के व्यावसायिक विकास को आकार देते हैं, और शिक्षकों को अपने अध्यापन कौशल और आजीवन अधिगम को लगातार परिष्कृत करने में सहायता करते हैं। इन आधारभूत मूल्यों और नैतिकता को बनायें रखते हुए, शिक्षक समानता और समावेशिता की नींव का निर्माण करते हैं।

आरेख ३ मुख्य मूल्यों और नैतिकता पर चित्रण

४.२ मानक २: ज्ञान और शिक्षण-अभ्यास - यह मानक उन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं जो एक शिक्षक से अपने विद्यार्थियों के विषय में बोध विकसित करने तथा प्रत्येक व्यवसायिक चरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए शिक्षण-अधिगम के बारे में जानने और समझने की अपेक्षा को बताते हैं। मानक यह भी दर्शाते है कि शिक्षण-शिक्षा की प्रक्रिया और अधिगमों के आंकलन को पूरा करते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभवों को किस प्रकार तैयार करता है। शिक्षक के ज्ञान और शिक्षण-अभ्यास का क्षेत्र विशाल है, जिसमें विषय-वस्तुका ज्ञान, सम्बंधित अध्यापन कौशल का सैद्धांतिक ज्ञान, विषय-वस्तु के प्रस्तुतिकरण की विधियों का ज्ञान,शैक्षिक लक्ष्यों का ज्ञान ,राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से सम्बंधित नीतियों का ज्ञान,इतिहास का ज्ञान, अधिगम सिंद्धान्तो का ज्ञान ,अधिगम

कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं का ज्ञान , शिक्षण विधियों का ज्ञान सभी सम्मिलित हैं। इसमें ज्ञान और शिक्षण-अभ्यास में कार्यों को 'करने' की क्षमताएँ, व्यवहार तथा संस्था की भावना सम्मिलित होती हैं: विद्यार्थियों को समावेशी एवं सार्थक रूप से सम्मिलित करना, योजना बनाना, पढ़ाना, आंकलन करना और स्रोतों को चयनित करने, विकसित करने तथा उपयोग करने के लिए चिन्तन क्षमता सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव जो की पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षिक भ्रमण, खेल के मैदान में प्रदान किये जाते है उन्हें विकसित करने एवं अनुप्रयोग करने तथा सभी विद्यार्थियों को समग्र रूप से सीखने और विकसित करने में सहायता करना भी सम्मिलित होता है।

आरेख ४ ज्ञान एवं शिक्षण-अभ्यास का चित्रण

४.३ मानक ३: व्यावसायिक उन्नति एवं विकास - यह मानक सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी **Continuous Professional Development (CPD))** के कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक व्यवसायिक चरण में व्यावसायिक ज्ञान/क्षमता एवं अध्यापन कौशलों में सुधार के लिए एक शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है, उससे सम्बन्धित क्षेत्रों को समाहित करता है। व्यावसायिकों के रूप में शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक पहचान को महत्व देने तथा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने एवं विकसित करने के लिए सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा कि इस निर्देशिका में उपयोग की जाने वाली दक्षताओं की संक्रियात्मक परिभाषा में स्पष्ट किया गया है, दक्षता -ज्ञान, स्वभाव एवं क्षमताओं के इन सभी रूपों को सम्मिलित करती है।

आरेख ५ व्यावसायिक उन्नति एवं विकास का चित्रण

मानक १: मुख्य मूल्य एवं नैतिकता			
एक शिक्षक से अपेक्षित मुख् मूल्य और व्यावसायिक नैतिकता			
क्षेत्र	**प्रवीण शिक्षक**	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
भारत के संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य	संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में तर्क, प्राथमिकतायें,चिन्तन एवं व्याख्या करने की क्षमता।		
	सूचना का नैतिकता एवं उत्तरदायित्व के साथ प्रयोग तथा विद्यार्थियों की गरिमा सुनिश्चित करने की क्षमता।		
	भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५१ A में दिए गए मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता एवं उन पर अमल		
	कानूनी दायित्वों, नियमों, विनियमों, नीतियों को समझने तथा विरोधाभास स्थिति में नैतिक रूप से तर्क करने एवं जटिल वातावरण को सुलझाने की क्षमता।		
व्यावसायिक सम्बन्ध	अधिगमकर्ताओं के लिए सह-पाठ्यचर्या सम्बन्धी अवसरों को प्रदान करने के लिए अन्य व्यावसायिकों एवं संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना।		
	विद्यार्थी के समग्र विकास में माता-पिता एवं समुदाय की भूमिका को पहचानना और स्वीकार करना।		
	संसाधनों इत्यादि को साझा करने के लिए अपने विद्यालयतथा अन्य संस्थानों एवं समुदायों के बीच आपसी सम्बन्ध बनाए रखने की क्षमता।		
	विद्यालय के भीतर एवं बाहर विभिन्न हितधारकों के साथ सम्बन्धों को विकसित करने तथा जटिल एवं चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में संवाद स्थापित करने व समाधान ढूंढने की क्षमता।		
	सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी रूप से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने,तथा विद्यालय के सभी सदस्यों के लिए एक अनुकूल कार्य वातावरण एवं सभी का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए संस्थान को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए लक्ष्यों एवं रणनीतियों को निर्धारित करने की क्षमता।		

मानक २: ज्ञान एवं शिक्षण-अभ्यास				
कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या ज्ञान एवं बोध होना चाहिए तथा उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।				
क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**प्रवीण शिक्षक**	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना एवं उन्हें बढ़ावा देना	बाल विकास एवं उसका अधिगम पर प्रभाव	विकास के विभिन्न चरणों और क्षेत्रों (संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक) से संबंधित सिद्धांतों का बोध।	विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास के स्वरुप की पहचान के लिए बाल विकास के ज्ञान एवं बोध का अनुप्रयोग।	सभी विद्यार्थी के लिए बाल सिद्धांन्तों का आदर्श अनुप्रयोग
	विद्यार्थी विविधता	विभिन्न प्रकार की अधिगमकर्ता विविधता (शिक्षण शैलियों, सीखने की आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संस्कृति, भाषा, पारिवारिक संरचना आदि सहित) का स्पष्ट बोध विकसित करना एवं विद्यालय और कक्षा में इस विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षण एवं आचरण करना।	विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए अधिगमों के संसाधनों का अनुप्रयोग।	कक्षा के अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विविध आश्यकताओं का निदान एवं समाधान करने की क्षमता।
	दिव्यांग एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकतायें	विभिन्न प्रकार की विकलांगता एवं उनकी विशेष अधिगम आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रतिभावशाली विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का उचित अनुप्रयोग तथा उनके अधिगम को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखाओं को तैयार करना।	कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उनकी आपूर्ति के लिए विशिष्ट ज्ञान का अनुप्रयोग।	विशेष आवश्यकताओं की पहचान करने की क्षमता, जिसके लिए विशेषज्ञों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तथा सहगामियों को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उचित ज्ञान प्रदान करना
विषय का ज्ञान, प्रत्यात्मक बोध एवं अनुप्रयोग		विषय क्षेत्र के ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग के प्रसार में क्षमताओं का प्रदर्शन करना।	अन्तः-विषयी एवं अंतर-विषयी सम्बन्धो का अनुप्रयोग करना तथा स्थानीय एवं स्वेदशी ज्ञान का समन्वय करना।	विषय क्षेत्र में विकास के साथ अद्यतन रहना तथा पाठ्यक्रम संचालन में नवीन अवधारणाओं का प्रयोग करना।
पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की रूपरेखा	विषय के पाठ्यक्रम के लक्ष्यों तथा उसकी रूपरेखा की स्पष्ट समझ का विकास करना	सहकर्मियों के समन्वय से विषयों के अन्तः-विषयी एवं अंतर -विषयी सम्बन्धों को समझना तथा उनका विकास करना।	नवीनतम विकास एवं नवीन ज्ञान पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम संचालन में संशोधन

मानक २: ज्ञान एवं शिक्षण-अभ्यास				
कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या ज्ञान एवं बोध होना चाहिए तथा उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।				
क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**प्रवीण शिक्षक**	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
विद्यार्थी अधिगम हेतु विषय-वस्तु का विकास	अनुदेशनात्मक / अध्यापन पद्धितियों तथा अधिगम वर्गीकरण	सामान्य अनुदेशनात्मक / अध्यापन पद्धितियों की समझ,शिक्षण में प्रयुक्त अधिगम वर्गीकरण, तथा सामान्य शोक्षणिक विधियाँ एवं संसाधनों की समझ	अपने विषय/शिक्षण क्षेत्र में अधिगम वर्गीकरण तथा अध्यापन पद्धितियों का उपयोग करके विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षण लक्ष्य/परिणाम विकसित करना	सहकर्मियों को सहभागी पाठ योजनाओं कोबनाने के लिए अधिगम सिद्धांतों, अनुदेशनात्मक / अध्यापन पद्धितियों के चयन तथा अधिगम वर्गिकरण के उपयोग के संदर्भ में परामर्श देना
	विभेदित अनुदेशन /शिक्षण	विभेदित अनुदेशन /शिक्षण पद्धितियों तथा शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागिदारी को प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका की स्पष्ट समझ होना तथा उसका अनुप्रयोग करना	विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए विभेदित अनुदेशन का अनुप्रयोग	विद्यार्थियों की सहभागिता बढाने हेतु विकासात्मक रूप से उपयुक्त विभेदित गतिविधियों तथा योजनाओं के विकास में सहयोगियों को परामर्श देना
	जीवन यापन कौशल यथा आलोचनात्मक चिन्तन, रचानात्मक चिन्तन तथा उच्च-क्रम चिन्तन विकसित करने हेतु योजनायें एवं उपकरण	सामान्य अध्यापन पद्धितियों की गहन समझ का प्रयोग करना जो रचनात्मक चिन्तन, और/ या अन्य उच्च-स्तरीय चिन्तन को विकसित करती है	ऐसे कौशलों को विकसित करने के लिए उपयुक्त अध्यापन पद्धितियों का उपयोग करना	ज्ञान क्षेत्र में विकसित नवीन सूचनाओं के आधार पर नवीन अध्यापन पद्धितियों एवं युक्तियों का निर्धारण
अधिगम योजनायें	अधिगम के लक्ष्य एवं उद्देश्य	मापन योग्य तथा प्राप्य शिक्षण लक्ष्यों एवं उद्देश्य का बोध	पाठ्यक्रम संरचना के अनुरूप विषय के लिए मापन योग्य तथा प्राप्य अधिगम लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण	उच्च अपेक्षाओं, चुनौतीपूर्ण परन्तु प्राप्य लक्ष्यों को विकसित करने की क्षमता का विकास, एवं विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना
	अधिगम अनुभवों की योजना बनाना	किसी विशेष अधिगम उद्देश्य हेतु अधिगम योजना के विकास की क्षमता	व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए विभेदित अधिगम योजनाओं का निर्माण	पाठ्यक्रम के आधार पर परस्पर जुडी हई अधिगम योजनाओं की श्रृंखला का निर्माण करना

मानक २: ज्ञान एवं शिक्षण-अभ्यास				
कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या ज्ञान एवं बोध होना चाहिए तथा उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।				
क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**प्रवीण शिक्षक**	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
अधिगम का आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम के रूप में आंकलन	आंकलन पद्धितियां	विभिन्न प्रकार की आंकलन पद्धितियों तथा उपकरणों की समझ	विद्यार्थियों के अधिगम आव्श्यकताओं के आधार पर उचित आंकलन पद्धितियों का चयन करना	विद्यार्थी / कक्षा के विषय में समग्र मत विकसित करने के लिए विविध स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों का सदुपयोग करना तथा उचित उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अधिगम को प्रेरित करना
	आंकलन प्रदत्त	आंकलन प्रदत्तों से विद्यार्थियों की गहन समझ विकसित करना	आंकलन प्रदत्तों के प्रयोग से लक्ष्य निर्धारित करना एवं अधिगमों की योजनाओं का निर्माण	विद्यार्थी / कक्षा के विषय में समग्र मत विकसित करने के लिए विविध स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों का सदुपयोग करना तथा उचित उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अधिगम को प्रेरित करना
	सम्प्रेषण एवं पृष्ठपोषण	विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के निष्पादन से सम्बंदित सूचनाएं साझा करना तथा प्रगति पर पृष्ठपोषण देना	विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा संरक्षककर्ता से विद्यार्थी के निष्पादन पर विशिष्ट पृष्ठपोषण साझा करना	विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों के साथ समन्वित प्रयास करना
शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं समावेश		शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझना	शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम, आंकलन तथा कक्षा प्रबन्धन में सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सीटी) का प्रयोग	स्वयं तथा सहकर्मियों के शिक्षण-अधिगम में सहायता हेतु उपयुक्त तकनीकी संसाधनों का निर्माण करना

मानक २: ज्ञान एवं शिक्षण-अभ्यास				
कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या ज्ञान एवं बोध होना चाहिए तथा उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।				
क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**प्रवीण शिक्षक**	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
कक्षा के घटक एवं गतिशीलता	सुरक्षित, पोषणकारी तथा अधिगम सहायक वातावरण	सुरक्षित एवं समावेशित कक्षा के निर्माण हेतु सुविधाओं तथा संसाधनों की उचित व्यवस्था	एक सामवेशी तथा अधिगम सहायक वातावरण की स्थापना करें, जिसमें छात्र बिना भय के अपनी बात को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें	एक सुरक्षित एवं समावेशी कक्षा के विकास में विद्यार्थियों का सहयोग लेना
	कक्षा प्रबन्धन	कक्षा प्रबन्धन उपागमों का ज्ञान एवं उसके प्रयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन	विद्यार्थी व्यवहार में विविधता की समझ तथा उसे समायोजित करना	विद्यार्थियों में आत्म-अनुशासन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तथा, नेतृत्व क्षमता विकसित करना (आदर्श)
	प्रभावी कक्षा संप्रेक्षण	कक्षा में होने वाले विभिन्न शाब्दिक व अशाब्दिक सम्प्रेषण को समझने की क्षमता प्राप्त करना	अधिगमों में प्रतिभागिता के लिए विभिन्न शाब्दिक व अशाब्दिक कक्षा संप्रेक्षण तकनीकों का प्रयोग करना	सहकर्मियों को उनके कक्षा संप्रेक्षण में सुधार हेतु समर्थन/मार्गदर्शन करने के लिए रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करना
	भाषाई विविधता और बहुभाषिकता	भाषायी विविधता के होते हुए भी सभी विद्यार्थियों के प्रति समवेशिता का दृष्टिकोण रखना तथा आवश्यक भाषा /भाषाओं में दक्षता प्रदर्शित करना	शिक्षण एवं अधिगम की सुविधा हेतु कक्षा में बहुभाषिकता को नियोजित करने में सहकर्मियों की सहायता करना	शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने के लिए बहुभाषिकता के प्रयोग का समर्थन

मानक ३: व्यावसायिक प्रगति और विकास			
व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास की योग्यता			
क्षेत्र	**प्रवीण शिक्षक**	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
अधिगम आवश्यकताये	स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए अधिगम अवाश्यकताओ की पहचान करना तथा लक्ष्य निर्धारित करना	हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यावसायिक विकास के लिए योजना बनाना	सहकर्मियों के व्यावसायिक विकास के लिए योजना बनाना एवं अवसर उपलब्ध कराना
चिन्तन क्षमता	चिन्तन क्षमता का अनुप्रयोग	स्वयं के शिक्षण अभ्यास को संशोधित करने हेतु चिन्तन करना	सहकर्मियों को चिन्तन क्षमता का प्रयोग करने के लिए सहायता या मार्गदर्शन देना
अधिगम समुदाय से संलग्नता एवं सहभागिता	विद्यालय के भीतर तथा बाहर अधिगम अवसरों में सहभागिता करना।	अपने शोध एवं अधिगम को सम्मेलनों, संगोष्ठी एवं वेब -संगोष्ठी में प्रस्तुत करना	विद्यालय के भीतर शिक्षण समुदाय का आरम्भ करना तथा व्यावसायिक विकास सत्रों का आयोजन करना

५. कार्यान्वयन

राष्ट्रीय शिक्षक गुणवत्ता केंद्र (एन.सी.टी.क्यू), एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एन.सी.टी.ई में स्थापित किया गया है जिसमें शिक्षकों के लिए एक ज्ञान कोष होगा और यह एन.पी.एस.टी के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, अधिक विशेषज्ञ व्यक्तियों/एजेंसियों को तैयार करने के लिए हितधारकों/कार्यान्वयन अभिकरणों का क्षमता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। एन.पी.एस.टी निर्देशिका के कार्यान्वयन और प्रभावी मूल्यांकन को देशभर के ७५ केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों (२५ केंद्रीय विद्यालय + २५ नवोदय विद्यालय + २५ सी.बी.एस.इ द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय) के ११७५ शिक्षकों पर किया गया। प्रारंभिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए है:-

- शिक्षकों की योग्यता स्तर और व्यवसायिक चरण की पहचान करना
- शिक्षकों के कौशलों/दक्षताओं एवं शिक्षण-अभ्यास पर एन.पी.एस.टी प्रारंभिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के प्रभाव को मापना
- एन.पी.एस.टी कार्यान्वयन रणनीति पर हितधारकों की प्रतिक्रिया एकत्रित करना

५.१ कार्य योजना

एन.पी.एस.टी में शिक्षक गुणवत्ता के मानचित्रण के लिए मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए और शिक्षकों को उनकी दक्षता में सुधार करने के लिए एक विकासात्मक मार्ग देकर शिक्षा प्रणाली को मौलिक रूप से परिवर्तित की क्षमता है। कार्यन्वयन की योजना की संकल्पना को बनाना तथा उसका परिक्षण करने का कार्य एन.पी.एस.टी के प्रारंभिक कार्यान्वयन कार्यक्रम में नियंत्रित रूप से किया गया। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान सम्मिलित हैं:

- लक्षित समूह का पंजीकरण
- मानकों का अनुप्रयोग-शिक्षक व्यवसायिक चरण की पहचान करना
- गुणात्मक आंकलन

एन.पी.एस.टी के अनुसार, एक शिक्षक को अपने शिक्षण शिक्षण कार्यकाल में अपने शिक्षण कौशल और क्षमता को सतत विकसित करते रहने की आवश्यकता होती है। शिक्षक स्व-आंकलन उपकरणों के एवं अन्य आंकलन उपकरणों की सहायता से अपनी क्षमता का आंकलन करने में सक्षम होंगे। औपचारिक आंकलन में एक शिक्षक योग्यता पोर्टफोलियो का विकास सम्मिलित होगा, जिसमें शिक्षण निष्पादन के साक्ष्य, कक्षा प्रदर्शन, हितधारकों से प्रतिक्रिया (३६०) डिग्री) और/या साथियों और निर्देशनकर्ताओं से अवलोकन आख्या सम्मिलित होगी। निष्पादन संकेतक (पी.आई Performance Indicators (PI)) आदि के प्रारूप सहित परीक्षण/ आंकलन के लिए उपकरण/सामग्री को अध्याय ६ में दिए गए सुझावात्मक आंकलन रूपरेखा के आधार पर विकसित किया जा सकता है।

एन.पी.एस.टी के क्रियान्वयन की कार्य योजना इस प्रकार है:-

क. एन.पी.एस.टी निर्देशिका के प्रमोचन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थानों/ अभिकरणों का क्षमता विकास।

ख. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एन.पी.एस.टी निर्देशिका का अनुकूलन।

ग. एन.ई.पी २०२० के अनुच्छेद ५.२० की परिकल्पना के अनुसार शिक्षक व्यवसायिक विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि के साथ एन.पी.एस.टी का एकीकरण।

घ. शिक्षक को दक्षताओं के विकास के लिए संसाधनों/ सामग्री/ स्व-विकास मार्गदर्शिका /आंकलन उपकरणों का विकास।

५.२ अनुप्रयोग

क. एन.पी.एस.टी का क्रियान्वयन उपयुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित उपयुक्त इकाई द्वारा किया जाएगा और इसी प्रकार केंद्र सरकार के अधीन संगठनों/निकायों के मामले में भी किया जाएगा।

ख. उपयुक्त नामित इकाई (केंद्रीय/राज्य) एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगी और शिक्षक व्यावसायिक विकास और व्यवसायिक प्रबंधन के लिए एन.पी.एस.टी निर्देशिका के साथ कार्यान्वयन और एकीकरण के लिए निर्देश निर्धारित करेगी।

ग. उपयुक्त सरकार एन.पी.एस.टी पर एन.सी.टी.ई के साथ संपर्क करने के उद्देश्य से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी।

घ. एन.सी.टी.ई नोडल अधिकारियों की बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

ङ. एन.पी.एस.टी के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नामित निकाय एन.सी.टी.ई के साथ विस्तृत सूचनाएं साझा करेगा।

च. एन.सी.टी.ई प्रदत्त कोष (डेटाबेस) बनाएगा और उपकरणों सहित विशेषज्ञों और संसाधनों का स्रोत केंद्र होगा और इन्हें उपयुक्त सरकार/निकाय के साथ साझा करेगा।

छ. एन.पी.एस.टी को देश भर में शिक्षक व्यवसायिक विकास और व्यवसायिक प्रबंधन के साथ एकीकृत किया जाएगा जैसा कि एन.ई.पी २०२० के अनुच्छेद 5.20 में परिकल्पना की गई है।

५.३ आवधिक समीक्षा

व्यावसायिक मानकों की समीक्षा की जाएगी और मानकों की प्रभावकारिता के गहन अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर व्यवसायिक मानकों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

६. एन.पी.एस.टी रूपरेखा पर आधारित आंकलन उपकरण (सुझावात्मक)

मानक १: मुख्य मूल्य और नैतिकता

क्षेत्र१: भारत के संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य
उ.क्षे. १.१- संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में तर्क करने, प्राथमिकता देने, चिन्तन करने और समझाने की क्षमता
१.१.१ सभी विद्यार्थियों और सहकर्मियों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार करें। १.१.२ एक सुरक्षित वातावरण बनाकर सभी के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है जहाँ लोग अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए स्वतंत्र अनुभव करें।
उ.क्षे.१.२ - सूचनाओं का नैतिक, उत्तरदायी उपयोग करने और विद्यार्थियों की गरिमा सुनिश्चित करने की क्षमता
१.२.१ विद्यार्थी से सम्बंधित सूचनाओं की सुरक्षा करे और इसे तब तक साझा न करे जब तक कि अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक न हो।
उ.क्षे. १.३ -भारतीय अनुच्छेद 51 A में दिए गए मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता और उनका अनुपालन
१.३.१ सभी विद्यार्थियों में सक्रिय रूप से अपने देश के प्रति प्रेम तथा अपनी समृद्ध एवं विविध विरासत पर गर्व की भावना उत्पन्न करता है। १.३.२ विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण करने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
उ.क्षे. १.४ - कानूनी दायित्वों, नियमों, विनियमों, नीतियों को समझने और परस्पर विरोधी स्थिति में नैतिक रूप से तर्क करने और जटिल वातावरण पर बातचीत करने की क्षमता।
१.४.१ बताए गए नियमों (विद्यालय के साथ-साथ राज्य के नियमों) का लगन से पालन करता है और उन्हें अनदेखा करने या उनका उल्लंघन करने के परिणामों से अवगत है। १.४.२ विद्यार्थियों और सहकर्मियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित और संबलित करता है और समस्याएँ उत्पन्न होने पर उनके समाधान में सहायक होता है।
क्षेत्र २: व्यावसायिक संबंध
उ.क्षे. २.१- विद्यार्थियों के लिए सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्य व्यवसायिकों और संगठनों के साथ अंतःक्रिया करना
२.१.१ विद्यार्थियों के अधिगम हेतु विविध अवसर उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में सहकर्मियों और अन्य व्यवसायिकों के साथ सहयोग करता है। २.१.२ विद्यार्थियों के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी सहायक शिक्षण संस्कृति का विकास करें जहां हर कोई सुरक्षित और महत्वपूर्ण अनुभव करें।
उ.क्षे. २.२- विद्यार्थियों के समग्र विकास में माता-पिता और समुदाय की भूमिका को स्वीकार करें और समझें
२.२.१ माता-पिता और समुदाय के साथ विश्वासप्रद सम्बन्ध बनाना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यार्थियों को घर और समाज में अधिगम में सहायता मिले।
उ.क्षे. २.३- संसाधनों आदि को साझा करने के लिए अपने विद्यालय और अन्य संस्थानों और समुदाय के बीच आपसी संबंध बनाए रखने की क्षमता।
२.३.१ विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को समृद्ध करने के लिए अन्य विद्यालयों और समुदाय के शिक्षकों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाये।

उ.क्षे. २.४ - विद्यालय के अंदर और बाहर विभिन्न हितधारकों के साथ सम्बन्धों को विकसित करने और जटिल और चुनौतीपूर्ण वातावरण पर बातचीत करने की क्षमता हो।
२.४ .१ सम्बन्धों को धैर्य और विश्वास के साथ प्रबंधित करें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों और दृष्टिकोण का समर्थन करे।
उ.क्षे. २.५- ऐसे लक्ष्यों तथा प्रणाली का निर्धारण करने की क्षमता जिससे संस्थान को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके , सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक लक्ष्यों को समावेशित रूप से प्राप्त किया जा सके,विद्यालय के सभी सदस्यों के लिए एक अनुकूल कार्य वातावरण बनाया जा सके और सभी की भलाई सुनिश्चित की जा सके।
२.५.१ विद्यार्थियों के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने में सहायता देने के लिए उचित सहायक अधिगम वातावरण एवं संस्कृति बनाना जहां हर कोई सुरक्षित और महत्वपूर्ण अनुभव करे। २.५.२ अपने व अपने सहकर्मियों के लिए अच्छे कार्य-वातावरण तथा संस्कृति को बनाने में योगदान दे।

मानक २: ज्ञान और शिक्षण अभ्यास

क्षेत्र ३: प्रत्येक विद्यार्थी की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना, मान्यता देना और पोषित करना		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. ३.१ -बाल विकास एवं उसका अधिगम पर प्रभाव		
विकास के विभिन्न चरणों और क्षेत्रों (संज्ञानात्मक, भाषाई,सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक) से संबंधित सिद्धांतों का बोध	**विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास के स्वरुप की पहचान के लिए बाल विकास के ज्ञान एवं बोध का अनुप्रयोग।**	**सभी विद्यार्थी के लिए बाल सिद्धांन्तों का आदर्श अनुप्रयोग**
३.१.१ कक्षाओं में अधिगम क्षमता और उपलब्धियों के संदर्भ में विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है।	३.१.२ विद्यार्थियों की विभिन्न विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं की समझ का उपयोग करता है और इस ज्ञान को पाठ योजना और उसके क्रियान्वयन में उचित रूप से सम्मिलित करता है।	३.१.३ सहपाठियों को विद्यार्थियों की विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को समझने और इस ज्ञान को पाठ योजना और उसके क्रियान्वयन में उचित रूप से सम्मिलित करने में सहायता करता है।
उ.क्षे. ३.२ - विद्यार्थी विविधता		
विभिन्न प्रकार की अधिगमकर्ता विविधता (शिक्षण शैलियों, सीखने की आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संस्कृति, भाषा, पारिवारिक संरचना आदि सहित) का स्पष्ट बोध विकसित करना एवं विद्यालय और कक्षा में इस विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षण एवं आचरण करना।	**विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए अधिगमों के संसाधनों का अनुप्रयोग।**	**कक्षा के अनुभव के आधार पर छात्रों की व्यक्तिगत विविध आश्यकताओं का निदान एवं समाधान करने की क्षमता।**

३.२.१ सभी विद्यार्थियों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग या धार्मिक पृष्ठभूमि के निरपेक्ष विद्यालय और कक्षा की गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।	३.२.२ विभिन्न प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराता है और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आख्यानों एवं विभिन्न संदर्भो के सम्बन्ध में मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है ।	३.२.३ व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं का निदान करता है और तदनुसार शिक्षण-अधिगम पद्धतियों को अपनाता है।
उ.क्षे. ३.३ - दिव्यांग एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकतायें		
विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता एवं उनकी विशेष अधिगम आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रतिभावशाली बच्चों के लिए ज्ञान का उचित अनुप्रयोग तथा उनके अधिगम को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखाओं को तैयार करना।	**कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उनकी आपूर्ति के लिए विशिष्ट ज्ञान का अनुप्रयोग।**	**विशेष आवश्यकताओं की पहचान करने की क्षमता जिसके लिए विशेषज्ञों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तथा सहगामियों को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उचित ज्ञान प्रदान करना।**
३.३.१ कक्षा के वातावरण और संसाधनों को सवेंदनशीलता से से व्यवस्थित करता है जिससे वह दिव्यांग और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। ३.३.२ कक्षा के वे विद्यार्थी जिन्हें कक्षा के कार्यो विशेषकर पठन एवं गणित से सम्बंधित कार्य करने में कठिनाई होती है, उनके प्रति धैर्यवान और विचारशील हो।	३.३.३ विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के उचित चुनौतीपूर्ण संसाधनों और अनुदेशात्मक पद्धतियों का उपयोग करता है। ३.३.४ विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थी समूहों को प्रभावी रूप से व्यवस्थित करता है जिससे उन्हें अधिगम में सहायता मिल सके ।	३.३.५ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ (आईईपी) बनाता है। ३.३.६ सहकर्मियों को ऐसी अध्यापन पद्धतियों के विषय में सुझाव देता है जिन्हें कक्षाओं को दिव्यांग और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी बनाने के लिए अपनाया जा सकता है।

क्षेत्र ४: विषय का ज्ञान, प्रत्यात्मक बोध और उसका अनुप्रयोग		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. ४.१ - विषय का ज्ञान, वैचारिक समझ और अनुप्रयोग		
विषय क्षेत्र के ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग के प्रसार में क्षमताओं का प्रदर्शन करना।	**अन्तः-विषयी एवं अंतर-विषयी सम्बन्धों का अनुप्रयोग करना तथा स्थानीय एवं स्वेदशी ज्ञान का समन्वय करना।**	**विषय क्षेत्र में विकास के साथ अद्यतन रहना तथा पाठ्यक्रम संचालन में नवीन अवधारणाओं का प्रयोग करना ।**
४.१.१ प्रत्ययों के बोध के लिए विविध पद्धतियों जैसे क्रियाओं, कहानियों, प्रयोगों आदि का उपयोग करता है ४.१.२ कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सटीक और आवश्यकतानुसार विस्तार से उत्तर देता है।	४.१.३ नवीन और पूर्व पाठों के प्रत्ययों के मध्य संबंध स्थापित करता है ४.१.४ जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य विषयों और स्थानीय/स्वदेशी ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करता है।	४.१.५ विषय की पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अध्यापन पद्धतियों में नवीनता लाता है। ४.१.६ अपने विषय या अन्य विषयों से संबन्धित शोध-लेख, शोध- पत्रिकाओं, पत्रिकाओं को नियमित रूप से संदर्भित करता है ।
क्षेत्र ५: पाठ्यक्रम		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. ५.१ - पाठ्यक्रम रूपरेखा		
विषय के पाठ्यक्रम के लक्ष्यों तथा उसकी रूपरेखा की स्पष्ट समझ का विकास करना	**सहकर्मियों के समन्वय से विषयों के अन्तः-विषयी एवं अंतर -विषयी सम्बन्धों को समझना तथा उनका विकास करना।**	**नवीनतम विकास एवं नवीन ज्ञान पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम संचालन में संशोधन।**
५.१.१ पाठ का शिक्षण पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और विषय को पढ़ाने के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए करता है।	५.१.२ विद्यार्थियों में समग्र अधिगम को सक्षम करने के लिए विषय के पाठ्यक्रम और अन्य विषयों के मध्य स्पष्ट संबंध बनाते हुए पाठ का संचालन करता है।	५.१.३ योजना बनाने और अध्यापन करने में नवीनतम विचार संलग्न करता है। ५.१.४ कार्यशाला, पठन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ज्ञान को योजना बनाने और अध्यापन करने में अनुप्रयोग करता है।

क्षेत्र ६. विद्यार्थी अधिगम हेतु विषय-वस्तु का विकास		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. ६.१ - अनुदेशनात्मक / अध्यापन पद्धितियों तथा अधिगम वर्गीकरण।		
अनुदेशनात्मक / अध्यापन पद्धितियों की समझ,शिक्षण में प्रयुक्त अधिगम वर्गीकरण, तथा सामान्य शैक्षणिक विधियाँ एवं संसाधनों की समझ।	**अपने विषय/शिक्षण क्षेत्र में अधिगम वर्गीकरण तथा अध्यापन पद्धितियों का उपयोग करके विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षण लक्ष्य/परिणाम विकसित करना।**	**सहकर्मियों को सहभागी पाठ योजनाओं को बनाने के लिए अधिगम सिद्धांतों, अनुदेशनात्मक / अध्यापन पद्धितियों के चयन तथा अधिगम वर्गिकरण के उपयोग के संदर्भ में परामर्श देना।**
६.१.१ विद्यार्थियों को विचार-विमर्ष एवं विवाद की अवसर प्रदान करता है जिससे उन्हें विषय-वस्तु को समझने में मदद मिल सके।	६.१.२ विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर अपने दृष्टिकोण पर प्रश्न पूछने, चर्चा करने और तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है।	६.१.३ सहकर्मी को अधिगम को सुलभ बनाने के लिए कई संरचित और असंरचित बातचीत के संतुलित उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देना।
उ.क्षे. ६.२ विभेदित अनुदेशन/शिक्षण		
विभेदित अनुदेशन /शिक्षण पद्धितियों तथा शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागिदारी को प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका की स्पष्ट समझ होना तथा उसका अनुप्रयोग करना।	**विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए विभेदित अनुदेशन का अनुप्रयोग।**	**विद्यार्थियों की सहभागिता बढाने हेतु विकासात्मक रूप से उपयुक्त विभेदित गतिविधियों तथा योजनाओं के विकास में सहयोगियों को परामर्श देना।**
६.२.१ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण-अधिगम विधियों और रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करता है।	६.२.३ समूह के भीतर अलग-अलग अधिगम आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रश्न/गतिविधियाँ निर्धारित करें, जिससे विद्यार्थियों को उचित प्रकार से प्रेरित किया जा सके।	६.२. ५ नियमित रूप से विभेदित अनुदेशन पद्धितियों का उपयोग करता है जिसमें विद्यार्थियों को अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाता है।
६.२.१ सभी विद्यार्थियों को विचारशील और विचारपूर्ण प्रतिक्रियाएं देता है।	६.२.२ समूह के भीतर अलग-अलग अधिगम आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रश्न/गतिविधियाँ निर्धारित करें, जिससे विद्यार्थियों को उचित प्रकार से प्रेरित किया जा सके।	६.२.३ नियमित रूप से विभेदित अनुदेशन पद्धितियों का उपयोग करता है जिसमें विद्यार्थियों को अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाता है।

उ.क्षे. ६.३- जीवन कौशल यथा आलोचनात्मक चिन्तन, रचानात्मक चिन्तन तथा उच्च- क्रम चिन्तन, विकसित करने हेतु शिक्षण पद्धितियां एवं उपकरण।		
सामान्य अध्यापन पद्धितियों की गहन समझ का प्रयोग करना जो रचनात्मक चिन्तन, और/ या अन्य उच्च-स्तरीय चिन्तन को विकसित करती है।	**ऐसे कौशलों को विकसित करने के लिए उपयुक्त अध्यापन पद्धितियों का उपयोग करना।**	**ज्ञान क्षेत्र में विकसित नवीन सूचनाओं के आधार पर नवीन अध्यापन पद्धितियों एवं युक्तियों का निर्धारण।**
६.३.१ कक्षा में ऐसी गतिविधियों का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में सैद्धांतिक प्रत्ययों का अनुप्रयोग करने में सहायक हो। ६.३.२ इसमें ऐसी कक्षा गतिविधियाँ सम्मिलित हैं (जैसे, ध्यान, सर्कल समय आदि) जो सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं	६.३.३ कक्षा शिक्षण में नियमित रूप से विद्यार्थियों को विश्लेषण करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करता है। ६.३.४ दिन-प्रतिदिन की कक्षा गतिविधियों में सामाजिक-भावनात्मक कौशल जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, सम्प्रेषण और सहयोग को सक्रिय रूप से समाहित करता है	६.३.५ विशिष्ट विषयों या सभी विषयों के लिए आलोचनात्मक चिन्तन, अन्वेषण, प्रश्न पूछने, चिंतन आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्यापन उपागम तैयार करता है। ६.३.६ नियमित रूप से व्यक्तिगत विद्यार्थियों की सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताओं की पहचान करता है एवं उन्हें संबोधित करता है।
क्षेत्र ७ - अधिगम योजनाएँ		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. ७.१ - अधिगम के लक्ष्य और उद्देश्य		
मापन योग्य तथा प्राप्य शिक्षण लक्ष्यों एवं उद्देश्य का बोध	**पाठ्यक्रम संरचना के अनुरूप विषय के लिए मापन योग्य तथा प्राप्य अधिगम लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण ।**	**उच्च अपेक्षाओं ,चुनौतीपूर्ण परन्तु प्राप्य लक्ष्यों को विकसित करने की क्षमता का विकास, एवं विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना।**
७.१.१ व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ योजनाएँ तैयार करता है और गतिविधियों और आंकलन को अधिगम परिणामों के साथ उचित रूप से जोड़ता है।	७.१.२ विषय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम परिणामों का निर्धारण करता है।	७.१.३ विशिष्ट अधिगम परिणामों को संबोधित करते हुए जब आवश्यक हो, पाठ को प्रासंगिक बनाता है और स्थानीय संदर्भ और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है।

उ.क्षे. ७.२ - अधिगम अनुभवों की योजना बनाना		
किसी विशेष अधिगम उद्देश्य हेतु अधिगम योजना को विकसित करने की क्षमता।	**व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए विभेदित अधिगम योजनाओं का निर्माण।**	**पाठ्यक्रम के आधार पर परस्पर जुड़ी हुई अधिगम योजनाओं की श्रृंखला का निर्माण करना।**
७.२.१ विषय -वस्तु, अधिगम परिणाम, गतिविधियों और आंकलन तकनीकों को समाहित करते हुए व्यापक पाठ योजनाएँ विकसित करता है।	७.२.२ उन विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट गतिविधियों और संसाधनों की योजना बनाना जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, पढ़ने में कठिनाई वाले पाठकों के लिए सरल भाषा का प्रयोग करना)	७.२.३ विद्यार्थी विषय कैसे सीखते हैं तथा पूर्व की कक्षाओं में उनके अधिगम पर आधारित करके प्रत्ययों और प्रकरणों को क्रमबद्ध करने वाली पाठ योजनाओं को बनाना।
क्षेत्र ८: अधिगम का आंकलन ,अधिगम के लिए आंकलन ,अधिगम के रूप में आंकलन		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. ८.१ आंकलन पद्धितियां		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
विभिन्न प्रकार की आंकलन पद्धितियों तथा उपकरणों की समझ।	**विद्यार्थियों के अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर उचित आंकलन पद्धितियों का चयन करना।**	**संस्था, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आंकलन की नीतियों का प्रर्दशन।**
८.१.१ विद्यार्थियों का आंकलन करने के लिए कक्षा अवलोकन, प्रश्न पूछना और लिखित कार्य (अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर) जैसी विधियों का उपयोग करता है। ८.१.२ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों से विचार-प्रेरक प्रश्न पूछता है।	८.१.३ विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे परियोजना (प्रोजेक्ट), प्रस्तुतीकरण, पोर्टफोलियो, प्रयोग, प्रश्नोत्तरी, सर्वेक्षण, व्यष्टि अध्ययन)। ८.१.४ विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप आरंभ करके यह निर्धारित करता है कि वे किसी दिए गए विषय के बारे में क्या जानते और समझते हैं।	८.१.५ प्रासंगिक नीति आलेखों के अनुसार कक्षाओं में आंकलन की सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करता है ८.१.६ कक्षाओं में अधिगम के लिए आंकलन एवं अधिगम के रूप में आंकलन को सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है।

उ.क्षे. ८.२- आंकलन प्रदत्त सामग्री (डेटा)		
आंकलन प्रदत्तों से विद्यार्थियों के प्रति गहन समझ विकसित करना ।	**आंकलन प्रदत्तों के प्रयोग से लक्ष्य निर्धारित करना एवं अधिगमों की योजनाएं बनाना।**	**विद्यार्थी / कक्षा के विषय में समग्र मत विकसित करने के लिए विविध स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों का सदुपयोग करना तथा उचित उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अधिगम को प्रेरित करना।**
८.२.१ कक्षा शिक्षण में सामान्य मुद्दों और वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए आंकलन प्रदत्तों का उपयोग करता है।	८.२.२ पाठ योजनाओं और शिक्षण पद्धति को विद्यार्थियों की विशिष्ट सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए आंकलन प्रदत्तों का उपयोग करता है।	८.२.३ आंकलन की विभिन्न तकनीकों द्वारा विद्यार्थी अधिगम से सम्बंधित सूचनाओं का संश्लेषण करना तथा अनुदेशन में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है । ८.२.४ अनुदेशन और नियोजन में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है, और उनके लिए विशिष्ट गतिविधियों की योजना बनाता है ।
उ.क्षे. ८.३- सम्प्रेषण एवं पृष्ठपोषण		
विद्यार्थियों , अभिभावकों / संरक्षककर्ता के साथ विद्यार्थियों के निष्पादन से सम्बंदित सूचनाएं साझा करना तथा प्रगति पर पृष्ठपोषण देना।	**विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा संरक्षककर्ता से विद्यार्थी के निष्पादन पर विशिष्ट पृष्ठपोषण साझा करना।**	**विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों के साथ समन्वित प्रयास करना।**
८.३.१ विद्यार्थियों को उनके कार्यों की जाँच करते समय या उनके उत्तरों पर प्रतिक्रिया देते समय विशिष्ट गुणात्मक पृष्ठपोषण देता है। ८.३.२ शिक्षक अभिभावक बैठकों में अभिभावकों/ संरक्षककर्ताओं को विद्यार्थियों के अंको एवं कक्षा सहभागिता के संदर्भ विद्यार्थी निष्पादन पर विस्तृत चर्चा करना।	८.३.३ नियमित आधार पर प्रत्येक विद्यार्थियों को उनके स्वयं के निष्पादन पर विस्तृत पृष्ठपोषण प्रदान करता है व सुधार के लिए विशिष्ट सुझावों देता है। ८.३.४ माता-पिता/ संरक्षककर्ता के साथ विद्यार्थी के निष्पादन पर विशिष्ट और विस्तृत पृष्ठपोषण साझा करता है ।	८.३.५ विद्यार्थियों को स्वयं और अपने साथियों द्वारा किये गए आंकलन के आधार पर अपने निष्पादन स्तर पर चिन्तन करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। ८.३.६ माता-पिता/ संरक्षककर्ता को घर पर अपने विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों पर विशिष्ट और सुविचारित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

क्षेत्र ९: शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझता है।	**शिक्षण प्रक्रिया,अधिगम,आंकलन तथा कक्षा प्रबन्धन में सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग करता है।**	**स्वयं तथा सहकर्मियों के शिक्षण अधिगम में सहायता हेतु उपयुक्त तकनीकी संसाधनों को तैयार करना।**
९.१ उपयुक्त सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधनों की पहचान करता है जो विशिष्ट प्रत्ययों को पढ़ाने की प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं।	९.२ शिक्षण पद्धितियों एवं आंकलन प्रविधियों को रचनात्मक रूप से संशोधित करने के लिए उपलब्ध आईसीटी संसाधनों का प्रभावी ढंग से अनुप्रयोग करता है।	९.३ स्वयं के साथ-साथ सहकर्मियों की शिक्षण-अधिगम गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्वयं के आईसीटी संसाधन बनाता है
क्षेत्र १०: कक्षा घटक और गतिशीलता		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
उ.क्षे. १०.१- सुरक्षित, पोषणकारी और अधिगम सहायक वातावरण।		
सुरक्षित एवं समावेशित कक्षा के निर्माण हेतु सुविधाओं तथा संसाधनों की उचित व्यवस्था ।	**एक सामवेशी तथा अधिगम सहायक वातावरण की स्थापना करें, जिसमें विद्यार्थी बिना भय के अपनी बात को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें।**	**एक सुरक्षित एवं समावेशी कक्षा के विकास में विद्यार्थियों का सहयोग लेना ।**
१०.१.१ कक्षा की कार्य प्रणाली के लिए दिनचर्या और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।	१०.१.३ विद्यार्थियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए लचीली कक्षा दिनचर्या निर्धारित करना।	१०.१.५ विद्यार्थियों के साथ कक्षा की दिनचर्या का सह-विकास जिससे वे कक्षा प्रक्रिया में स्वामित्व ग्रहण करें।
१०.१.२ तनाव मुक्त कक्षा वातावरण सुनिश्चित करता है जो विद्यार्थियों के बीच गतिशीलता, संवाद और सम्प्रेषण को प्रोत्साहित करता है।	१०.१.४ विद्यार्थियों को स्वतंत्र होकर अपने विचार साझा करने और दैनिक जीवन के प्रासंगिक मुद्दों (जैसे, चिंता की भावना, छेड़खानी, विश्वास निर्माण आदि) पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें।	१०.१.६ कक्षा के लिए ऐसे मानदंडों का सह-निर्माण करना जो सुरक्षित, समावेशी और समायोजनात्मक कक्षाओं की भावना को प्रतिबिंबित करते हों।
उ.क्षे. १०.२ - कक्षा प्रबंधन		
कक्षा प्रबंधन उपागमों का ज्ञान और उनका उपयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन।	**विद्यार्थी व्यवहार में विविधता को समझें और समायोजित करें ।**	**विद्यार्थियों में आत्म-अनुशासन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तथा, नेतृत्व क्षमता विकसित करना। (आदर्श)**
१०.२.१ कक्षा में अपने स्वयं के नियम और मानदंड निर्धारित करना तथा प्रासंगिक समय पर विद्यार्थियों के व्यवहार का आंकलन और सुधार करना।	१०.२.२ विद्यार्थियों के व्यवहार को उनके संदर्भ से जोड़ता है और उचित प्रतिक्रिया देता है।	१०.२.३ विद्यार्थियों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपेक्षाओं का सह-विकास करना तथा उन्हें इन अपेक्षाओं के बारे में स्वयं तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना।

उ.क्षे. १०.३ प्रभावी कक्षा संप्रेक्षण		
कक्षा में होने वाले विभिन्न शाब्दिक व अशाब्दिक सम्प्रेषण को समझने की क्षमता प्राप्त करना।	**अधिगमों में प्रतिभागिता के लिए विभिन्न शाब्दिक व अशाब्दिक कक्षा संप्रेक्षण तकनीकों का प्रयोग करना।**	**सहकर्मियो को उनके कक्षा संप्रेक्षण में सुधार हेतु समर्थन/मार्गदर्शन करने के लिए रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करना।**
१०.३.१ उचित शाब्दिक व अशाब्दिक सम्प्रेषण का प्रयोग करना जैसे कि आँख से संपर्क, हाव-भाव, संकेत आदि।	१०.३.२ विद्यार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए शाब्दिक व अशाब्दिक सम्प्रेषण का उपयोग करता है। १०.३.३ शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत विद्यार्थियों के अशाब्दिक सम्प्रेषण की व्याख्या करना तथा अपनी सम्प्रेषण रणनीतियों में उचित समायोजन करना।	१०.३.४ प्रभावी सम्प्रेषण के कार्यान्वयन के लिए सहकर्मियों को मार्गदर्शन देना।
उ.क्षे. १०.४ - भाषाई विविधता और बहुभाषिकता।		
भाषायी विविधता के होते हुए भी सभी विद्यार्थियों के प्रति समवेशिता का दृष्टिकोण रखना तथा आवश्यक भाषा /भाषाओ में दक्षता प्रदर्शित करना।	**शिक्षण एवं अधिगम की सुविधा हेतु कक्षा में बहुभाषिकता को नियोजित करने में सहकर्मियों की सहायता करना।**	**शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने के लिए सहकर्मियों द्वारा बहुभाषिकता के प्रयोग का समर्थन करना।**
१०.४.१ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार अनुदेशन के माध्यम एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग करते रहना।	१०.४.२ भाषायी रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में अपनाई गई पद्धितयों पर सहकर्मियों को मार्गदर्शन प्रदान करना।	१०.४.३ शिक्षण अभ्यास के द्वारा, शोध लेख लिखकर व सहकर्मियों के साथ सामूहिक विचार-विमर्श में श्रेष्ठतर कक्षा अधिगम के लिए बहुभाषिकता पर बल देता है।

मानक ३ : व्यावसायिक प्रगति और विकास

क्षेत्र ११: अधिगम आवश्यकतायें		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए अधिगम अवाश्यकताओ की पहचान करना तथा लक्ष्य निर्धारित करना।	**हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यावसायिक विकास के लिए योजना बनाना।**	**सहकर्मियों के व्यावसायिक विकास के लिए योजना बनाना एवं अवसर उपलब्ध कराना।**
११.१ विकास के व्यापक क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए योजना की पहचान करना।	११.३ विकास के क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान या अन्य सक्रिय उपाय	११.५ सहकर्मियों को उनकी अधिगम संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के

११.२ विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं के लिए कार्यशालाएँ, बैठकें, प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि में सहभागिता करता है।	करना। ११.४ लेख, पुस्तक के अध्याय, पुस्तकें, सहकर्मी समीक्षा प्रकाशन आदि में लिखता है और/या योगदान देता है।	लिए उपयुक्त उपायों की योजना बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करना। ११.६ पत्रिकाओं आदि के लिए लेख लिखने और क्रियात्मक अनुसंधान करने में सहकर्मियों का मार्गदर्शन करना।
क्षेत्र १२ : चिन्तन क्षमता		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
चिन्तन क्षमता का अनुप्रयोग करना	**स्वयं के शिक्षण अभ्यास को संशोधित करने हेतु चिन्तन करना।**	**सहकर्मियों को चिन्तन क्षमता का प्रयोग करने के लिए सहायता या मार्गदर्शन देना।**
१२.१ अपने शिक्षण अभ्यास के सकारात्मक पक्ष और कमियों पर चर्चा करता है । १२.२ व्यक्तिगत विद्यार्थियों के सकारात्मक पक्ष और कमियों पर चर्चा करता है।	१२.३ विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के संदर्भ में पाठ योजनाओं और कक्षा पद्धतियों पर चिन्तन को आलेखित करना। १२.४ कक्षा में श्रेष्ठतर शिक्षण - अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षण अभ्यास में परिवर्तन हेतु नए उपागम बनाना ।	१२.५ सहकर्मियों को चिंतन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। १२.६ सतत अधिगम के लिए सहकर्मी सहायता समूह बनाने की पहल करता है।
क्षेत्र १३: अधिगम समुदाय से संलग्नता एवं सहभागिता		
प्रवीण शिक्षक	**उन्नत शिक्षक**	**विशेषज्ञ शिक्षक**
विद्यालय के अंदर और बाहर सीखने के अवसरों में भाग लें।	**अपने शोध एवं अधिगम को सम्मेलनों, संगोष्ठी एवं ई - संगोष्ठी में प्रस्तुत करना।**	**विद्यालय के भीतर शिक्षण समुदाय को आरम्भ करना तथा व्यावसायिक विकास सत्रों का आयोजन करना।**
१३.१ विद्यालय के अंदर और बाहर विभिन्न स्रोतों का प्रयोग / साझा अधिगम अवसरों में सहभागिता करना। १३.२ एक प्रतिभागी अथवा निरीक्षणकर्ता के रूप में ऐसी सार्थक आयोजनों में उपस्थित रहता है जो व्यवसायिक अधिगम तथा अन्वेषण को संबलित करें करें ।	१३.३ राज्य स्तरीय सम्मेलनों/ संगोष्ठियों एवं ई- संगोष्ठियों में नियमित रूप से अपने अनुभव, कक्षा में किये गए प्रयोग आदि प्रस्तुत करना। १३.४ राज्य स्तरीय सम्मेलनों/ संगोष्ठियों एवं ई- संगोष्ठियों में नियमित रूप से अपने अनुभव, कक्षा में किये गए प्रयोग आदि प्रस्तुत करना।	१३.५ सहकर्मियों के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं, बैठकों, प्रशिक्षणों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का संयुक्त रूप से आयोजन करना। १३.६ आस -पास के विद्यालयों के शिक्षकों के एक विस्तारित शिक्षण समुदाय के विकास की दिशा में कार्य करता है।

७. एन.पी.एस.टी पर आधारित एन.सी.टी.क्यू के लिए डिजिटल आधारभूत योजना

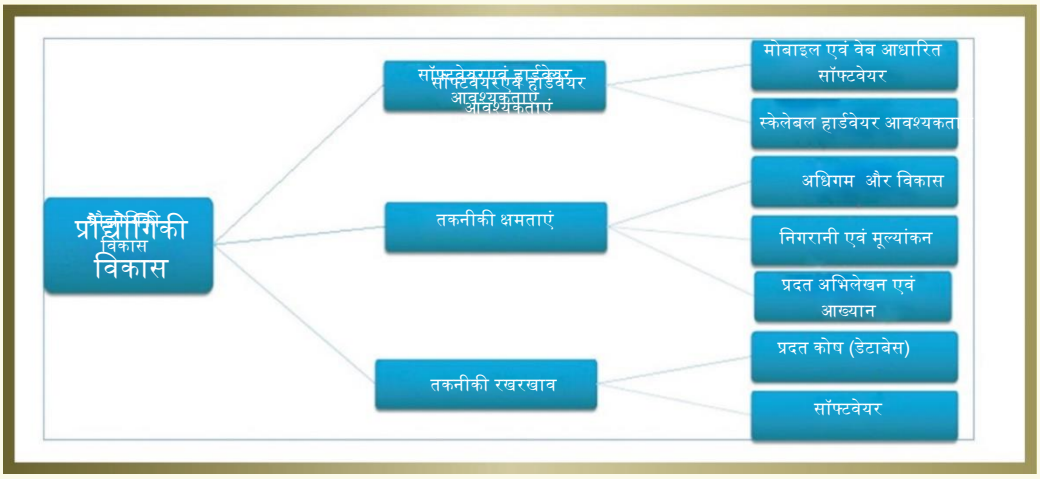

एन.पी.एस.टी के कार्यक्षेत्र के सुझावात्मक घटक

- **एन.पी.एस.टी पोर्टल निर्माण**
  शिक्षक कोष, अधिगम कोष, क्रेडिट प्रबंधन, एन.पी.एस.टी के अनुसार आंकलन (स्वयं तथा मार्गदर्शक द्वारा), कार्यान्वयन के लिए एन.पी.एस.टी डिजिटल योजना, संस्थान और कार्यक्रम प्रबंधन, दीक्षा/निष्ठा के साथ स्व-अधिगम, अधिगम /प्रशिक्षण/सीपीडी के साक्ष्य के लिएकोष, प्रत्येकअनुक्षेत्र एवं मानकोंमें शिक्षक के बोध के क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए ई-पोर्टफोलियो बनाना, शिक्षकों के लिए विभिन्न दक्षताओं पर उनके स्कोर और निष्पादन को पुनः प्राप्तकरने के लिए तंत्र, स्व-आंकलन उपकरण, शिक्षकों के अभिलेखों का कोष विकसित करना।
- **एन.पी.एस.टी कार्यान्वयन औरनिगरानी सॉफ्टवेयर**
  - राज्यवराष्ट्रीय स्तर पर एन.पी.एस.टी के कार्यान्वयन के लिए सतत निगरानीप्रणाली।
  - शिक्षकों के सतत व्यावसायिकविकास पर निरन्तर निगरानी ।
  - शिक्षक प्रशिक्षकों कोनिर्देशन देने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
  - सतत व्यावसायिक विकास के लिएस्व-गति पाठ्यक्रम।
  - वेब और ऐप आधारित अधिगम।
  - राष्ट्रीय ज्ञान कोषका निर्माण।
  - सेवाकालीन शिक्षक।
  - सेवापूर्व शिक्षक
  - अधिगम के साक्ष्यों की निगरानीकरना।
- **सामग्री प्रबंधन और डेटासाझाकरण**
- **डिजिटल प्रबंधन और संयोजकता (कनेक्टिविटी):**
  - लक्षित समूहों / हितधारकों केसाथ तत्काल सम्प्रेषण के लिए डिजिटल सम्मलेन (कॉन्फ्रेंसिंग) प्लेटफॉर्म।

आरेख ६ एन.पी.एस.टी पर आधारित एन.सी.टी.क्यू के लिए डिजिटल आधारभूत योजना का चित्रण

आरेख ७: डिजिटल स्कीमा पर चित्रण

आरेख ८ प्रारंभिक (पायलट) अध्ययन पर कार्यान्वन पर चित्रण

आरेखों की सूची

क्र. सं.	छवि	पृष्ठ
१.	शिक्षकों की तत्परता पर चित्रण	7
२.	व्यावसायिक मानकों एवं योग्यता पर चित्रण	13
३.	मुख्य मूल्यों और नैतिकता पर चित्रण	14
४.	ज्ञान और शिक्षण-अभ्यास पर चित्रण	15
५.	व्यावसायिक प्रगति एवं विकास पर चित्रण	15
६.	एन.पी.एस.टी पर आधारित एनसीटीक्यू के लिए डिजिटल आधारभूत योजना पर चित्रण	35
७.	डिजिटल स्कीमा पर चित्रण	36
८.	प्रारंभिक (पायलट)अध्ययन कार्यावन्वयन पर चित्रण	36

लघुरूप

ACR	Annual Confidential Report	वार्षिक गोपनीय आख्या
APR	Annual Performance Appraisal	वार्षिक निष्पादन आंकलन
CPD	Continuous Professional Development	सतत व्यावसायिक विकास
DIET	District Institute of Education & Training	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
DPEP	District Primary Education Project	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
FLN	Foundational Literacy and Numeracy	मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
GoI	Government of India	भारत सरकार
ICT	Information and Communication Technology	सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी
INSET	Inservice Education and Training	सेवाकालीन शिक्षा एवं प्रशिक्षण
JNVS	Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti	जवाहर नवोदय विद्यालय समिति
KVS	Kendriya Vidyalaya Sangathan	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
MoE	Ministry of Education	शिक्षा मंत्रालय
NCTE	National Council for Teacher Education	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
NCERT	National Council of Educational Research & Training	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
NCFTE	National Curriculum Framework for Teacher Education	शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा
NCTQ	National Centre for Teacher Quality	शिक्षण गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय केन्द्र
NEP 2020	National Education Policy 2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०
NIEPA	National Institute for Educational Planning and Administration	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
NPST	National Professional Standards for Teachers	शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
NMM	National Mission for Mentoring	राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन
PI	Performance Indicator	कार्य निष्पादन संकेतन
PSTE	Pre-service Teacher Education	सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा
RIE	Regional Institute of Education	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
RPL	Recognition of Prior Learning	पूर्व शिक्षा की मान्यता
RTE	Right to Education	शिक्षा का अधिकार
SCERT	State Council of Educational Research & Training	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan	सर्व शिक्षा अभियान
TEI	Teacher Education Institution	शिक्षक शिक्षा संस्थान
TEP	Teacher Education Programme	शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम
TET	Teacher Eligibility Test	शिक्षक पात्रता परीक्षा

ग्रन्थसूची

- Australian Institute for Teaching and School Leadership. (2018). Australian Professional Standards for Teachers.
  https: /www.aitsl.edu.au/docs/default-source/national-policy-framework/australian-professional-standards-for-teachers.pdf
- Department of Education. (2021). Teachers' Standards: Guidance for School Leaders, School Staff and Governing Bodies.
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040274/TeachersStandards_Dec_2021.pdf
- Education International and UNESCO. (2019). Global Framework of Professional Teaching Standards.
  https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei-unesco_framework
- Government of India (2020a). National Education Policy 2020.
  https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- Government of India. (2022b). The constitution of India.
  https: /cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2023/05/2023050195.pdf
- National Commission on Teachers. (1986). The Teacher and Society: Report of the National Commission on Teachers-I.
- National Council for Teacher Education. (2009). National Curriculum Framework for Teacher Education. New Delhi: NCTE.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). National Curriculum Framework 2005. NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2019). Teacher's Self-Assessment. https://ncert.nic.in/pdf/announcement/TSAR.pdf
- National Qualifications Authority. (2021). Teacher Standards for the UAE.
  https://tls.moe.gov.ae/Downloads/SNSC%20standards%20teachers%20English.pdf
- The Right to Free and Compulsory Education Act. (2009). (Gazette Extraordinary), Ministry of Law and Justice, Government of India, New Delhi.
  https: /righttoeducation.in/sites/default/files/Right%20of%20Children%20to%20Free%20and%20Compulsory%20Education%20Act%202009%20(English).pdf
- Verma, J.S. (2013). Report of the Committee on Amendments to Criminal Law, 2013. New Delhi.
  https://adrindia.org/sites/default/files/Justice_Verma_Amendmenttocriminallaw_Jan2013.pdf

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

By e-mail / Hand / Speed Post / Fax

NCTE-Acad013/2/2021-O/o US(Acad.)-HQ 31st August 2021

OFFICE ORDER (Revised)

It is decided to constitute a committee of the following members on National Professional Standards for Teachers (NPST) within NCTE. The committee would examine the relevance of para 5.20 of NEP 2020 and devise an appropriate strategy for developing & designing a National document on NPST.

Sl. No.	Name & Address	Designation
1.	Prof. CK Saluja, (Rtd). CIE, DU. New Delhi,	Chair
2.	Prof. Anil Kumar Shukla. VC. KMCL University. Lucknow, UP	Member
3.	Dr. Shakila T Shamshu. former OSD. DONE. MoE. New Delhi	Member
4.	Prof Padma Sarangpani, TISS. Maharashtra	Member
5.	Prof. Ranjana Arora, NCERT, New Delhi	Member
6.	Prof K Ramchandran (Rdt) NIEPA. New Delhi	Member
7.	Dr. Vishwajit Saha, Director CBSE. New Delhi	Member
8.	Dr. Robin Chetri, SCERT, Gangtok, Sikkim	Member
9.	Ms. Ramya Vcnkatraman. CENTA, Bangalore, Karnataka	Member
10.	Shri. D K Chaturvedi, Under Secretary. NCTE. New Delhi	Convener
11.	Dr. Parul. Senior Academic Consultant, NCTE, New Delhi	Co-convener

2. Terms of Reference: -

i. Formulation of pragmatic aspects of the policy of NEP on NPST and Cross linking.

ii. Evolving guideline for the establishment of National Centre for Teachers Quality (NCTQ) under NPST at NCTE lig.. New Delhi.

iii. Structured plan of Action on Implementation of NPST and State grading formula.

iv. Review of data of digital consultations institutional consultation on NPST and developing strategy for National/ State level consultation for preparing this national document.

v. There are many countries which have the mechanism of National Professional Standards for Teachers (NPST). Mapping of NPST of these and some other countries and Development& Design of a draft framework on NPST.

vi. Extensive review of the inputs collected during the consultation period across the country will be done by the expert committee.

Cont. Pg 2/-

जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
Phone : +91-11-20893266, Fax : +91-11-20893270 Email : ms@ncte-india.org
Website : www.ncte.gov.in

vii. The committee will then undertake a review of the areas of the teacher activities requiring common/current competency level of teachers. The committee will finally formulate the draft going through the several revisions before the NPST Draft is released for public review. Comments by the reviewers from amongst the stakeholders will then be used to prepare a final draft for notification.

viii. Preparation of a Self-Development Guide/Assessment Tools on NPST will also be designed for successful implementation of NPST. This will also include the teacher's professional role and responsibility in terms of quality because of the teacher's growing role beyond the classroom, achievement of standards as well underlying teachers's participation in decision to the education matter at the school/district/sale/national level.

ix. Ensuing Completion of all tasks within 3 months, so as to implement NPST from Academic Session 2022-23.

x. Any other point found relevant to NPST implemention as per the directive of NEP 2020.

xi. To hold discussion/meeting with other stakeholders whenever necessary. The Committee may consult/co-opt teachers / Principals/ Experts as when required.

xii. TA/DA/Sitting fees shall be paid as per the NCTE Rules. The NCTE would provide the secretarial assistance as per requirement.

3. This has approval of the competent authority.

(Kesang Y. Sherpa)
Member Secretary

Copy to-

1) PS to CP for information please.

2) Deputy Secretary/Under Secretary, GA/Academic/Accounts/EDP, NCTE.

3) Copy to all concerned.

4) Guard file.

गुरुर्गुरुतमो धाम

NCTE

सर्वाधिकार सुरक्षित

यह आलेख तथा इसकी सभी विस्तृत प्रक्रियाएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की बौद्धिक संपदा हैं और प्रतिलिप्याधिकार द्वारा संरक्षित हैं।.

प्रतिलिप्याधिकार

NTM

Language consultancy and translation facilitated by

National Translation Mission

Central Institute of Indian Languages, Mysore

गुरूर्गुरूतमो धाम

NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of Government of India)